

2021-22

HINDUSTAN CABLES LIMITED



70th Annual Report and Accounts.

CONTENTS

S no	Description	Page nos
1	Board of Directors, Auditor, Bankers	3
2	Notice of Annual General Meeting	4-7
3	Director's Report	8-12
4	Secretarial Audit Report	13-18
5	Form MGT -9	19-24
6	Comments of Comptroller and Auditor General of India	25-25
7	Company's explanation to the observations of Statutory Auditors	26-29
8	Auditor's report to the Members of Hindustan Cables Limited	30-43
9	Last ten years at a glance	44
10	Balance Sheet as at 31.03.2022	45
11	Profit and Loss Account for the year ended on 31.03.2022	46
12	Cash Flow Statement for the year ended on 31.03.2022	47
13	Significant Accounting Policies and notes on Accounts	48-57
14	Location of Offices	58



HINDUSTAN CABLES LIMITED

BOARD OF DIRECTORS

Shri K. Mohan	: Chairman and Managing Director
Shri Vivek Narayan	: Director
Shri Madan Pal Singh	: Director
Smt Sushma Batra	: Director

STATUTORY AUDITOR

M/s G. Basu & Company (CA 003)
Chartered Accountants
Kolkata

BANKERS

Bank of Baroda
Allahabad Bank

REGISTERED OFFICE

1/315, Gariahat Road (Jodhpur Park)
Kolkata – 700068

HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Government of India Undertaking)

हिन्दुस्थान केबल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
नैगम कार्यालय
फ्लाट नं J-0, गल्फ लिन्क एपार्टमेन्ट
50, चण्डितला लेन, कोलकाता 700040



HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
CORPORATE OFFICE
Flat No. J-0, Golf Link Apartment
50, Chanditala Lane,
Kolkata 700040.

CIN – U31300WB1952GOI020560

Email: hindustancablesltd.kolkata@gmail.com,

Website : www.hindcables.net

CORP/SEC/70TH AGM/2021-22/

Date: 26.12.2022

AMENDMENT TO NOTICE OF THE 70TH ANNUAL GENERAL MEETING

Hindustan Cables Limited ("The Company") had issued a Notice (Original Notice), dated December 07, 2022 of the 70th Annual General Meeting (AGM) to be held on Wednesday, December 28, 2022 at 12.00 noon at Flat no. J-0, Golf Link Apartment , 50, Chanditala Lane, Kolkata -700040, to transact four business items (3 Ordinary Business and 1 Special Business) as specified in the said original notice.

Further to the above, Notice is hereby given that as per suggestion made by the Directors, the special resolution mentioned under the special business at Item No.4, will be amended as follows and further that meeting will take place at 2.30pm on the same date and venue (instead of 12.00 noon mentioned at Original notice):

4. As a **SPECIAL RESOLUTION**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 180(1) (a) of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and subject to other applicable provisions, if any, including the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Company, consent of the shareholders of the company be and is hereby accorded to sale/transfer/hive off/dispose off the company's immovable assets as mentioned in ANNEXURE '1' to such entity and on such terms and conditions as may be directed by the Ministry of Heavy Industries, Government of India".

"**RESOLVED FURTHER THAT** CMD, HCL is hereby authorised to do all needful acts including execution of the relevant documents for giving effect to above resolution."

The Meeting may please also be attended through Video Conference Mode.

By Order of the Board of Directors
HINDUSTAN CABLES LIMITED

Yours faithfully,


(K. Mohan)
Chairman and Managing Director
(Additional Charge)

Place: Kolkata

हिन्दुस्थान केबल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
नैगम कार्यालय
फ्लाट नं J-0, गल्फ लिन्क एपार्टमेन्ट
50, चण्डितला लेन, कोलकाता 700040



HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
CORPORATE OFFICE
Flat No. J-0, Golf Link Apartment
50, Chanditala Lane,
Kolkata 700040.

CIN – U31300WB1952GOI020560

Email: hindustancablesLtd.kolkata@gmail.com,

Website : www.hindcables.net

CORP/SEC/70TH AGM/2021-22/

Date: 07.12.2022

NOTICE OF THE 70TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 70th Annual General Meeting of Hindustan Cables Limited will be held on **Wednesday, the 28 th December, 2022** at Hindustan Cables Limited, Corporate Office, Flat no. J-0, Golf Link Apartments, 50, Chanditala Lane, Kolkata – 700040, at **12.00 noon** to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To consider and adopt the Report of the Directors for the year ended 31st March, 2022.
2. To consider and adopt the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2022 and Balance Sheet as on that date along with the Reports of the Auditors thereon.
3. To authorize the Board of Directors to fix remuneration of Auditors for the year 2022-23.

SPECIAL BUSINESS

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution:

4. As a **SPECIAL RESOLUTION**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 180(1) (a) of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and subject to other applicable provisions, if any, including the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Company, consent of the shareholders of the company be and is hereby accorded to sale/transfer/hive off/dispose of the company’s immovable assets as mentioned in ANNEXURE “1” on such terms and conditions as may be directed by the Ministry of Heavy Industries, Government of India”.


“RESOLVED FURTHER THAT consent of the shareholders of the company be and is hereby also accorded to the Board of directors of the company to handover all immovable assets to the entity as may be directed by the Ministry of Heavy Industries, Government of India to implement sale of these immovable assets and to return the entire proceeds realized through sale of the immovable assets to the company”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of directors of the company be and is hereby authorized to do all such acts and things and to execute such deeds, papers and documents as might be necessary for giving effect to this resolution and also to further delegate all or any of the power conferred herein to any committee of the Board or to any director as the board may deem fit in its absolute discretion.”

The Meeting may please also be attended through Video Conference Mode.

By Order of the Board of Directors
HINDUSTAN CABLES LIMITED

Yours faithfully,



(K. Mohan)
Chairman and Managing Director
(Additional Charge)

Place: Kolkata
Date: 07.12.2022

To
All Members, Directors and Auditors
of Hindustan Cables Limited (as per list enclosed)

Notes :

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the company. A blank form of proxy is enclosed, which, if used, should be returned to the Registered Office of the Company duly completed, not later than 48 hours before the commencement of the Meeting.
2. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company has been closed from 02.08.2022 to 15.08.2022 (both days inclusive).

EXPLANATORY STATEMENT

(Pursuant to section 102 of the companies Act 2013)

The Union Cabinet in its meeting held on 28.09.2016, inter-alia, approved closure of HCL, offering VRS/VSS to all its employees and disposal of all movable and immovable assets as per extant DPE guidelines which was communicated by the Department of Heavy Industry (DHI) vide letter F no. 1(13)/2003-PE.II(Vol. X) dated 06.10.2016. The Chairman informed that it is necessary to sale/transfer/hive off/dispose of the immovable assets of the Company for its winding up / dissolution in future.

As per section 180(1) (a) of the Companies Act 2013 approval of the shareholders of the company, by way of a special resolution is required to sell, lease or otherwise disposal of the whole or substantially the whole of the undertaking of the company.

The list of existing immovable assets of the Company which are to be disposed of as per approval of the Union Cabinet are given below :-

S n	Details of property	Area
1	4 Flats at Golf Link Apartments, 50, Chanditala Lane, Kolkata, West Bengal	E-1 - 78.97 Sqm E-2 - 78.97 Sqm L-2 - 78.97 Sqm J-0 - 94.76 Sqm
2	5 Flats at Juhi Housing Scheme, Allahabad, UP	B-38 – 108.24 Sqm, B-45 – 107.20 Sqm B-46 – 108.24 Sqm A-68 - 108.24 Sqm C-36- 107.20 Sqm
3	2 Flats at Agnipath Housing Scheme, Allahabad, UP	A-17 -96.49 Sqm A-19 – 112.09 Sqm
4	1 Apartment ay Asian Games Village, New Delhi	182 sq. mtr
5	Freehold land at Rupnarainpur, West Bengal	947.23 acres
6	Freehold land at Hyderabad, Telangana	324 Acres and 35 guntas
7	Guest House at Rash Behari Avenue, Kolkata -	237 sq mtr

The Directors recommended the resolution set out in item No. 4 of the Notice for the approval of the share holders.

None of the directors , managers, key managerial personnel and their relatives, is interested or concerned in the resolution

DIRECTORS' REPORT

TO THE SHAREHOLDERS HINDUSTAN CABLES LIMITED

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, I have great pleasure in presenting you the 70th Annual Report on the working of the Company for the year ended 31st March 2022 along with the Audited Statement of Accounts, Auditors' Report and the Review of the Accounts by the Comptroller & Auditor General of India.

2. PERFORMANCE

The Union Cabinet has given its approval on 28.09.2016, inter alia, for closure of the company as per the provisions of the Companies Act 1956 / 2013, Industrial Disputes Act 1947 etc., offering VRS/VSS to its employees. Accordingly, all the employees were released on 31.01.2017 on payment of compensation sanctioned by the Union Cabinet.

As things stands today, there is no permanent employee on the roll of the company. The appropriate government authority has granted permission for closure of the company u/s. 25(O) of Industrial Disputes Act, 1947.

Currently there is no business activity and HCL is trying to complete the formalities for liquidation / winding up as directed. Hindustan Cables Limited is now closed and in a non-operating stage with no plant, machinery, employee or outsourced functionary.

3. FINANCIAL RESULTS

During the year 2021-22 the company has made a profit of Rs. 88.38 crore. Summarized position of the Company's results for the year 2021-22 compared to 2020-21 is given below:

(Rs. In lakhs)

		2021-22	2020-21
(a)	Total revenue	333.51	390.16
(b)	Less: Total expenses	1413.16	386.98
(c)	Profit (Loss) before Extra Ordinary item and Tax	(1079.64)	3.18
(d)	Extra Ordinary items	9918.48	26952.89
(e)	Profit (Loss) for the year	8838.84	26956.07

4. SHARE CAPITAL

The Authorised Capital of the Company is Rs. 6000 crores. The Subscribed and Paid-up Capital as on 31.3.2022 stood at Rs. 4865.88 crores divided into 4865881125 Equity Shares of Rs.10 each.

5. BORROWINGS

During the year 2021-22, the company has not made any borrowing.

6. CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company's contribution to National Exchequer by way of Income Tax, TDS on contractors and consultancy services, GST etc. aggregates to Rs. 0.55 crore.

7. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

In terms with approval of the Union Cabinet dated 28.09.2016, inter alia, for closure of the company as per the provisions of the Companies Act 1956 / 2013, Industrial Disputes Act 1947 and other relevant Acts, all the regular employees of the company were released on 31.01.2017 on acceptance of their VR applications except 125 ex-employees of HCL, Naini (who were transferred to NAeL, a subsidiary of HAL).

8. STATUS OF LAND HELD

Company holds 947.23 acres of land at Rupnarainpur, District Paschim Bardhamaan, West Bengal. During 2021-22, the Company under instruction from MHI, approached the revenue authority, Government of West Bengal and obtained record of land held by it. Revenue authority, Government of West Bengal has informed that 935.70 acres of land are recorded in favour of the Company. There is a shortfall of 11.53 acres of land held by Company at Baramuri mouza. Company has requested revenue authority, Government of West Bengal for recording additional 11.53 acres of land at Baramuri mouza in it's name.

Company's prayer for rectification of RoR in it's favour for 8.85 acres of land at Baramuri mouza, Rupnarainpur, as against two West Bengal Government educational institutions (ITC and NCP) is pending with Land Reforms and Tenancy Tribunal (LRTT), Kolkata. In this connection, the Company has also filed a title suit before Asansol District Court. For a small parcel of 0.39 acres at Baramuri mouza, mutation is under hold by local land revenue office for identification based on verification of ownership records.

In respect of 324 acres 35 guntas of land held by the Company at Hyderabad, Telangana Government claimed title to property and served resumption orders during July, 2018. Company obtained stay(s) from Hyderabad High Court and issues are now sub judice.

9. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors of the Company confirm:

- i. That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there has been no material departure.
- ii. That the selected accounting policies were applied consistently and the directors made judgement and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company as at March 31, 2022 and of the profit of the Company for the year ended on that date.

- iii. That proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- iv. That the annual accounts have not been prepared under historical convention as a going concern, in view of the decision of Union Cabinet to close the company.

10. AUDIT COMMITTEE

The Board of Directors in its 358th Meeting held on 21.03.2022 re-constituted the Audit Committee comprising of Shri Madanpal Singh, as Chairman, Audit Committee, Shri Sunil Kumar Singh, as Member, Audit Committee and Shri K. Mohan, as Member, Audit Committee. The terms of reference of the Audit Committee are to review and discuss with the Auditors periodically about internal controls, the scope of audit and the observations of the auditors, review of financial statements before submission to the Board and any matter referred by the Board.

11. BOARD OF DIRECTORS

Shri K. Mohan, Director (Personnel), Andrew Yule and Co. Limited. (AYCL) has been entrusted additional charge of the post of Chairman & Managing Director of the company w.e.f. 01.07.2020 in terms of Order No. 1(15)/2016-PE-II, dated 29.06.2020 issued by Department of Heavy Industry, Government of India.

Smt Sushma Batra, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industries (MHI) was appointed as a Government Nominee Director on the Board of Hindustan Cables Limited with immediate effect vice Shri Sunil Kumar Singh, former Director, MHI vide MHI order No.1(15)/2001-PE.II / CPSE-II (e-4246) dated 07.09.2022.

The Board of Directors place on record its appreciation for the service rendered by Shri Sunil Kumar Singh, former Director, MHI as Government Nominee Director on the Board of Hindustan Cables Limited.

Shri Vivek Narayan, DDG(DS), Department of Telecommunications, Ministry of Communications was appointed as a Government Director on the Board of Hindustan Cables Limited with immediate effect vice Shri Sunil Kumar Singhal, former DDG(DS) vide MHI order No.1(15)/2001-PE.II / CPSE-II (e-4246) dated 19.05.2022.

The Board of Directors place on record its appreciation for the service rendered by Shri Sunil Kumar Singhal, former DDG(DS), as Government Director on the Board of Hindustan Cables Limited.

The Board meets with prior notice and circulation of the agenda papers in advance. The meetings focus on strategy formulation, policy and control, review of the performance and for considering statutorily required matters.

12. AUDITORS

For the year 2021-22, M/s G. Basu & Company (CA 0003), Chartered Accountants, was appointed by Comptroller & Auditor General of India (C&AG) as Statutory Auditor of the Company.

13. AUDIT REVIEW

The comments of the Comptroller and Auditor General of India, Statutory Auditors' Report to the members and replies of the Management to the observations are annexed.

14. INFORMATION ON SHARES

The share transfers taking place are amongst the nominees of the President of India. The distribution of shareholding as on 31st March, 2022 was as under:

Sn	Category	No. Of Shares held	% age
1	President of India	4865881125	100.00
	Total	4865881125	100.00

In terms with approval for closure of HCL accorded by the Union Cabinet in its meeting held on 28.09.2016, the Company applied for delisting of shares from Calcutta Stock exchange (CSE) as 100% shares were held by the President of India. CSE delisted the Company. The other two stock exchanges where the Company was listed viz. Ahmedabad and Delhi Stock Exchanges became non functional. Since there was no floating share in the Market, the Company practically became an unlisted Company. Based on an application made by the Company, MCA has changed the CIN of the Company from listed to unlisted.

The last 3 Annual General Meetings were held on 24.12.2019 and 31.12.2020 and 21.12.2021 at Kolkata.

15. ACKNOWLEDGEMENT

The Directors are grateful for the support, guidance and assistance received from the Ministry of Heavy Industries, Ministry of Communication, Ministry of Finance and other Ministries of Government of India and State Governments of West Bengal and Andhra Pradesh. The Directors also convey their thanks for the co-operation and support received from the office of Comptroller and Auditor General of India and the Principal Director of Commercial Audit.

The Directors take this opportunity to express their appreciation for the support, co-operation and contribution from the contractual functionaries associated with the Company in meeting various challenges during the year under review.

For and on behalf of the Board of Directors

(K. Mohan)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

REGISTERED OFFICE
1/315, Gariahat Road (Jodhpur Park)
KOLKATA 700 068.

DATED : 03.11.2022

Rajkishore Ram
Practicing Company Secretary

113A, A.J.C Bose Road
5th floor, Room No.5/6
Kolkata-700014, West Bengal
Mob.No.9903880503
e.mail:csrkr@gmail.com

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST March, 2022
(Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rules 9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) rules, 2014, read with the
Guidance Note on Secretarial Audit)
(Release- 1.2) of the Institute Of Company Secretaries of India)

To
The Members
M/S. Hindustan Cables Limited
1/315, Gariahat Road, Kolkata-700068, West Bengal

1. I have conducted the secretarial Audit of M/s. Hindustan Cables Limited having its Registered office at 1/315, Gariahat Road, Kolkata-700068, West Bengal and having CIN:L31300WB1952GOI020560 (hereinafter called 'the Company') for the financial year ended on 31st March, 2022 (" the period under review " herein after). The Aforesaid Secretarial audit has been conducted, pursuant to the provision of section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, Read with the Guidance Note on Secretarial Audit) (release 1.2) of Institute of Company Secretaries of India, in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conduct and the process of statutory compliances under various statutes, rules, regulations, guidelines, as indicated here in below in the instant report as such expressing my opinion thereon.
2. On the Basis of verification of the secretarial compliance and on the basis of aforesaid secretarial audit of Company's books, papers minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company, as shown to me , during the said audit and based on the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representative during the conduct of the aforesaid secretarial audit, I hereby report that in my opinion and to the best of my understanding, the Company has, during the audit, period covering the financial year ended on 31st march, 2022, complied with the statutory provisions with



certain exception listed hereunder about the board process and compliance system and in my view the Company has not started maintaining adequate board process and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

3. I have examined the secretarial compliance based on the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by M/s. Hindustan Cables Limited for the financial year ended on 31st march, 2022 and as shown to me during my audit, according to the provisions of the following laws:
 - (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
 - (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulation and bye Laws framed There under;
 - (iii) The Regulations and guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI ACT) viz.:-The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992; and other applicable laws generally applicable to the company.
4. To the best of my understanding and on the basis of information and documents produced by the management such as Calcutta Stock Exchanges Letter dated 26/07/2017 addressed to the company as regards the delisting of shares I am of the view that during the period under review the Company is not required to comply with SEBI Act, 1992 and the Listing Requirements. Further it is informed by the management that the Union Cabinet vide its letter dated 28/09/2016 has already given its approval for the closure/winding up of the company. Further it has been informed by the management that HCL has released all its employees from the company with effect from 31/01/2017 and further the company is trying to complete the formalities for liquidation / winding up as directed by the Union Cabinet.
5. Hindustan Cables Limited is trying to complete the formalities for liquidation / winding up as directed by the Union Cabinet and the respective Stock Exchanges, i.e. Calcutta Stock Exchange Limited has delisted the shares of the company as per their letter dated 26/07/2017. The Delhi Stock Exchange Limited and Ahmedabad Stock Exchange have become Non-functional as on date. Keeping the above information and explanations as provided by the management of the company I am of the view that the Company is not required to comply the necessary Listing compliances for the period under review.
6. I further report to the best of my understanding that,
 - a) The Board of Directors of the Company is not duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and independent Directors. During the period under review Mr. KOTHENATH MOHAN (DIN: 08385809) was appointed as the Chairman cum Managing Director of the company on dated 01/07/2020.



- b) Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings. Agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meetings and for meaningful participation at the meeting. Further during the year under review the process of Board meeting was badly affected due to COVID-19 Pandemic.
- c) Majority decision is carried through and recorded as a part of the minutes.
7. It has been represented to me by the management of the Company that periodic reports on compliance with laws generally applicable to the company are placed before the board at periodic intervals and that there are adequate system and process in the company, commensurate with the size and operations of the company for reporting to the Board of directors of the company and to monitor and ensure compliance with applicable to the area of operation of business and other laws generally applicable to Company.
8. I further State that in respect of compliance with the provisions of Companies Act 2013, during the period under review, I have observations as follows:
- i. That to the best of our understanding, the "Key Managerial personnel" preferably the company Secretary and/or the Chief financial Officer as required to be appointed by company pursuant of section 203 (1) of the Companies act, 2013, Due to non functional and non operational stage and release of all employees/ consultants/functionaries from different locations and establishments in terms with approval for closure accorded by the Union Cabinet on 28.09.2016, key managerial person(KMP) has not been appointed by the company during the period under scrutiny under the provisions of Rule 8 of The Companies "Appointment and Remuneration of Managerial Personnel" Chapter XIII under Section 203 of the Companies Act, 2013. Further as informed by the management the said Key Managerial Personnel has not been appointed since the company has become Non-functional and Non-operational.
- ii. That I have not come across any report or minute or any other document regarding evaluation of independent directors, pursuant to section 149 read with schedule IV of the companies' act 2013. However, it has been represented to me by the management of the Company that The Ministry of Heavy Industry, generally appoints all the directors of the Board however no such director in the capacity of independent director has been appointed during the period under review.



- iii. That I have not come across any report or minute or any other document regarding appraisal of performance of Directors since the company has not constituted the Nomination and remuneration Committee during the period under review.
- IV. That since the company is trying to complete the formalities for liquidation / winding up as directed by the Union Cabinet. the internal Auditor has not been appointed pursuant to the provisions of section 138 of the Companies Act, 2013.
- V. As per the letter dated 26/07/2017, the Calcutta Stock Exchange Ltd has delisted the shares from its Stock Exchange with effect from 27/07/2017 and The Delhi Stock Exchange and the Ahmedabad Stock Exchange have become Non-functional as on date. Further as informed by the management there is no floating shares available in the market and the President of India representing Government of India is holding 100% stake in the company as on date..
- VI. As on date the company is still Active Non-Compliant
8. This report is to be read with my letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.



Rajkishore Ram

Rajkishore Ram

Practicing Company Secretary

Mem. No.:A22447, C.P. No: 16589

UDIN: A022447D001362500

Place: Kolkata

Date: 26th day of October'2022

Rajkishore Ram
Practicing Company Secretary

113A, A.J.C Bose Road
5th floor, Room No.5/6
Kolkata-700014, West Bengal
Mob.No.9903880503
e.mail:csrkr@gmail.com

'Annexure A'
(To The Secretarial Audit Report of M/S. Hindustan Cables Ltd. for the Financial Year
ended 31/03/2022)

To
The Members
M/s. HINDUSTAN CABLES LIMITED
1/315, Gariahat Road, Kolkata-700068, West Bengal

My secretarial Audit Report for the financial year ended 31/03/2022 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. My responsibility is to express an opinion of existence of adequate board process and compliance management system, commensurate to the size of the company, based on these secretarial records as shown to me during the said audit and also based on the information furnished to me by the officers and agents of the company during the said audit.
2. I have followed the audit practices and process as were appropriate, to the best of my understanding, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to check as to whether correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the process and practices, I followed, provide a reasonable basis for my opinion.
3. I have not verified the correctness, appropriateness and bases of financial records, books of accounts and decisions taken by the board and by various committees of the Company, during the period under review. I have checked the board process and compliance management system to understand and to form an opinion as to whether there is an adequate system of seeking approval of respective committees of the board, of the members of the company and of other authorities, as per provisions of Companies act 2013 and of various statutes as referred in the aforesaid audit report.



4. Where ever required I have obtained the management representation about the compliances of Laws, rules and regulations and happening of events and gathering of facts etc. However it is understood from the management that the company has become sick industrial company within the meaning of clause "O" of subsection (1) of section (3) of SICA, 1985 and the company was registered with the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) in the year 2002 vide case no. 505/2002 and the Union Cabinet in it's meeting held on 28.09.2016 has, inter-alia, accorded its approval for closure of the company. Further as informed by the Management there was no floating shares of the company available in the market and Delhi Stock Exchange and Ahmedabad Stock Exchange have become Non-functional and hence the periodical compliances with the Stock exchanges are not required for the period ending 31/03/2022. Further as informed by the Management there is no floating shares available in the market and the President of India representing Government of India is holding 100% stake in the company as on date.
5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules regulations, standard, is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of compliance procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficiency or effectiveness or accuracy with which the management has conducted the affairs of the Company.



Rajkishore Ram

Rajkishore Ram
Practicing Company Secretary
ACS No. 22447, CP.No.16589

Place: Kolkata

Date: 26th day of Oct' 2022

ANNEXTURE "A" TO DIRECTORS REPORT

**FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on financial year ended on 31.03.2022**

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:		
1	CIN	L31300WB1952GOI020560
2	Registration Date	8/4/1952
3	Name of the Company	HINDUSTAN CABLES LIMITED
4	Category/Sub-category of the Company	Company limited by Shares
5	Address of the Registered office & contact details	1/315.GARIAHAT ROAD, KOLKATA-700068, WEST BENGAL ,Email: hindustancablesLtd.kolkata@gmail.com
6	Whether listed company	DELISTED FROM CALCUTTA STOCK EXCHANGE LIMITED, LISTED WITH AHMEDBAD & DELHI STOCK EXCHANGE LIMITED YET TO BE DELISTED
7	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY			
(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)			
S. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1	JELLY FILLED CABLE	NO PRODUCTION FOR LAST 16 YEARS	NA
2	DRY CORE CABLE		NA
3	FIBRE OPTICS CABLE		NA

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES					
SN	Name and address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	NA	NA	NA	NA	NA
2	NA	NA	NA	NA	NA
3	NA	NA	NA	NA	NA

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity share capital breakup as percentage of total equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year 01.04.2021				No. of Shares held at the end of the year 01.04.2022				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) Central Govt/State govt		4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%		4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	0.00%
c) Bodies Corp.			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
d) Banks / FI			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
e) Any other			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Sub Total (A) (1)	-	4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	-	4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	0.00%
(2) Foreign									
a) NRI Individuals			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) Other Individuals			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
c) Bodies Corp.			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
d) Banks/FI			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
e) Any other			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Sub Total (A) (2)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
TOTAL (A)	-	4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	-	4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	0.00%
B. Public									
1. Institutions									
a) Mutual Funds			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) Banks / FI			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
c) Central Govt			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
d) State Govt(s)			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
e) Venture Capital Funds			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
f) Insurance Companies			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
g) FIs			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
h) Foreign Venture Capital Funds			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
i) Others (specify)			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Sub-total (B)(1):-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ii) Overseas			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
c) Others (specify)									
Non Resident Indians			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Overseas Corporate Bodies			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Foreign Nationals			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Clearing Members			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Trusts			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Foreign Bodies - D R			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Sub-total (B)(2):-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
Total Public (B)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Grand Total (A+B+C)	-	4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	-	4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	0.00%

(ii) Shareholding of Promoter

SN	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	President of India	4,865,880,625	100.00%	0		100.00%	0	100.00%
2	Shri K Mohan,CMD,HCL	100					0	0.00%
3	Ms.Sujata Sharma,Sr.Economic Advisor	100					0	0.00%
4	Shri Madan Pal Singh,JT. Director,DHI	50					0	0.00%
5	Shri Kamol Deo Prasad,,US,DHI	100					0	0.00%
6	Shri Sunil Kumar Singh,Director	100						
7	Smt Parveen Gupta	50					0	0.00%
	TOTAL	4,865,881,125	100.00%				0	0.00%
1	President of India				4,865,880,625	100.00%	0	0.00%
2	Shri K Mohan,CMD,HCL				100		0	0.00%
3	Ms.Sujata Sharma,Sr.Economic Advisor				100		0	0.00%
4	Shri Madan Pal Singh,JT. Director,DHI				50		0	0.00%
5	Shri Kamol Deo Prasad,,US,DHI				100		0	0.00%
6	Shri Sunil Kumar Singh,Director				100		0	0.00%
7	Smt Parveen Gupta				50		0	0.00%
	TOTAL				4,865,881,125	100.00%		

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

SN	Particulars	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
	At the beginning of the year			4,865,881,125	100.00%	4,865,881,125	100.00%
	No changes take place during the year under review.				0.00%		0.00%
					0.00%		0.00%
					0.00%		0.00%
	At the end of the year			4,865,881,125	100.00%	4,865,881,125	100.00%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders*(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):*

SN	For each of the Top 10 shareholders	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
1	Name						
	At the beginning of the year			NA	0.00%	NA	0.00%
	Changes during the year			NA	0.00%	NA	0.00%
	At the end of the year			NA	0.00%	NA	0.00%
2	Name						
	At the beginning of the year			NA	0.00%	NA	0.00%
	Changes during the year			NA	0.00%	NA	0.00%
	At the end of the year			NA	0.00%	NA	0.00%

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

SN	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
1	Shri K Mohan,CMD,HCL						
	At the beginning of the year			100	0.00%	-	0.00%
	Changes during the year			-	0.00%	-	0.00%
	At the end of the year			NIL	0.00%	-	0.00%
2	MS Sujata Sharma,Senior					-	
	At the beginning of the year			100	0.00%		0.00%
	Changes during the year						0.00%
	At the end of the year			NIL	0.00%		0.00%
3	Shri Madan Pal						
	At the beginning of the year			50	0.00%		0.00%
	Changes during the year			-			0.00%
	At the end of the year			NIL	0.00%		0.00%
4	Shri Kamal Deo						
	At the beginning of the year			100	0.00%	-	0.00%
	Changes during the year			-		-	0.00%
	At the end of the year			NIL	0.00%	-	0.00%
5	Shri Sunil Kumar					-	
	At the beginning of the year			100	0		
	Changes during the year			-			
	At the end of the year						
6	Smt Praveen						
	At the beginning of the year			50	0.00%		0.00%
	Changes during the year			-			0.00%
	At the end of the year			NIL	0.00%		0.00%

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

(Amt. Rs./Lacs)

Particulars	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Interest due but not paid	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i+ii+iii)	NIL	NIL	NIL	NIL
Change in Indebtedness during the financial year				
* Addition	NIL	NIL	NIL	NIL
* Reduction	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Change	NIL	NIL	NIL	NIL
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Interest due but not paid	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i+ii+iii)	NIL	NIL	NIL	NIL

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL
A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

SN.	Particulars of Remuneration		Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount (Rs/Lac)
			Name	Designation	
			KOTHENATH MOHAN		
			Managing director	NIL	NIL
1	Gross salary			NIL	NIL
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961			NIL	NIL
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961			NIL	NIL
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961			NIL	NIL
2	Stock Option			NIL	NIL
3	Sweat Equity			NIL	NIL
4	Commission			NIL	NIL
	- as % of profit			NIL	NIL
	- others, specify			NIL	NIL
5	Others, please specify			NIL	NIL
	Total (A)		-	NIL	NIL
	Ceiling as per the Act			NIL	NIL

B. Remuneration to other Directors

SN.	Particulars of Remuneration		Name of Directors		Total Amount (Rs/Lac)
			Name	Designation	
1	Independent Directors		NIL	NIL	NIL
	Fee for attending board committee meetings		NIL	NIL	NIL
	Commission		NIL	NIL	NIL
	Others, please specify		NIL	NIL	NIL
	Total (1)		NIL	NIL	NIL
2	Other Non-Executive Directors		NIL	NIL	NIL
	Fee for attending board committee meetings		NIL	NIL	NIL
	Commission		NIL	NIL	NIL
	Others, please specify		NIL	NIL	NIL
	Total (2)		NIL	NIL	NIL
	Total (B)=(1+2)		NIL	NIL	NIL
	Total Managerial Remuneration		NIL	NIL	NIL
	Overall Ceiling as per the Act		NIL	NIL	NIL

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

SN.	Particulars of Remuneration		Name of Key Managerial Personnel			Total Amount (Rs/Lac)
			CEO	CFO	CS	
1	Gross salary					NA
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961					NA
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax					NA
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961					NA
2	Stock Option					NA
3	Sweat Equity					NA
4	Commission					NA
	- as % of profit					NA
	- others, specify					NA
5	Others, please specify					NA
	Total					NA

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	NA	NA	NA	NA	NA
Punishment	NA	NA	NA	NA	NA
Compounding	NA	NA	NA	NA	NA
B. DIRECTORS					
Penalty	NA	NA	NA	NA	NA
Punishment	NA	NA	NA	NA	NA
Compounding	NA	NA	NA	NA	NA
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NA	NA	NA	NA	NA
Punishment	NA	NA	NA	NA	NA
Compounding	NA	NA	NA	NA	NA

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF
INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN CABLES LIMITED FOR THE
YEAR ENDED 31 MARCH 2022**


The preparation of financial statements of Hindustan Cables Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23 September 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Hindustan Cables Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

Place: Kolkata
Date: 07.12.2022

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India


(Suparna Deb)
Director General Audit (Mines)
Kolkata

HINDUSTAN CABLES LIMITED (HCL)
COMPANY'S EXPLANATION TO THE OBSERVATION OF STATUTORY AUDITOR (DRAFT)

Sn	STATUTORY COMMENTS	AUDITOR'S	MANAGEMENT'S REPLY (DRAFT)
a	<p>Financial statements are claimed to have been drawn on liquidating concept in departure from going concern concept with assets held at historic cost in terms of Written Down Value which in our opinion is self-contradictory as Property, Plant & Equipment constituting major assets call for accountal on the basis of realisable value so as to render presentation of financial statement genuinely under liquidating concept. Our opinion is modified in this respect.</p> <p>Besides relevant assertions and changes in accounting policy remain without any change, cosmetic or major, in accounting practice vis-à-vis previous year where the company affirmed adherence to going concern concept.</p>		<p>The Union Cabinet in its meeting held on 28.09.2016, inter-alia, approved closure of HCL. offering VRS/VSS to all its employees and disposal of all assets. Accordingly, all the employees were released on 31.01.2017 and plant and machinery have been disposed of in consonance with the approval of the Union Cabinet. The appropriate government authority has granted permission on 31.05.2017 for closure of HCL u/s 25(O) of Industrial Disputes Act, 1947. Currently there is no business activity and HCL is trying to complete the formalities for liquidation / winding up as directed. HCL is now closed and in a non-operating stage with no plant, machinery, employee .</p> <p>Consequently, as per direction given by the Board in its 360 th meeting, Financial Statements have been drawn on liquidating concept.</p> <p>Comments of the Statutory Auditor have been noted. Considering the deadlines for statutory compliances, valuation of PPE at realisable value will be carried out in the next financial year. Note no. 32 , may be referred.</p>
b	<p>Company had written back liabilities to the extent of Rs 99,23,71,801.35 which includes advance from Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) to the extent of Rs 24,04,45,742.00 based on one sided action without any settlement with creditor concerned.</p>		<p>The Company has received legal opinion from M/s Fox and Mandal, Solicitor & Advocate, Kolkata which in brief stated that validity of creditors' claim will not be there after 3 years of dissolving of BIFR (if, any Court case is not there for same).</p> <p>The Company did last acknowledgement of liability to MTNL vide it's letter dated 07.05.2018. The claim validity period of liability to MTNL expired on 07.05.2021, three years from the last liability acknowledgement date i.e. 07.05.2018, as per Limitation Act 1963. Further, the Company did not make any fresh acknowledgement of liability before expiration of claim validity period i.e. 07.05.2021. Company has not taken any step by which time barred dead liability can get revived. There is no pending court case with MTNL too. Therefore, entire MTNL liability has become stale and time barred by 07.05.2021 i.e. three years from the date of the last acknowledgement of liability. Given the specific circumstances, it has been considered appropriate by the Company not to acknowledge dues to MTNL in it's Balance Sheet as on 31.03.2022 and hence it has been considered appropriate to write back the same.</p>

	<p>Liability to salary & wage stands written off is Rs 65,54,548.00 and receipt from Central Government of Rs 1,14,48,805/- to pay for VRS lying unpaid has not utilized as such rather unpaid due being written back. The arrear salary & wage for which the amount was received has not been paid. We are unable to comment on the correctness of write back for want of necessary documents and evidences in this regard.</p>	<p>Liability of arrear salary and wage for Rs 65,54,548/-:- This figure relates to payment of pay scale revision arrear at Rupnarainpur Unit. As per DHI order and the wage revision agreements with the trade unions, pay revision arrears could only be paid by the Company on fulfillment of stipulated preconditions. These preconditions could not be fulfilled by the Company. Therefore, employees were not eligible to receive pay scale revision arrear. It is clarified that no fund was received by the Company from DHI/ GOI for payment of arrear salary/wage due to pay revision. Liability for payment of pay scale revision arrear was inadvertently booked at Rupnarainpur unit in spite of the fact that Company failed to meet the preconditions for payment of pay scale revision arrear. It has been noticed during the year and therefore written back.</p> <p>Unpaid VRS of Rs 1,14,48,805/-:- There is a dispute of retirement age at 58 –vs-60 years at Rupnarainpur unit. The employees demanded retirement age should be at 60 years. Company had reduced the retirement age to 58 years in 2014 by giving notice. Being aggrieved several court cases have been filed by the employees which are still pending. The employees went ahead and demanded additional VRS ex gratia be paid to them considering enhanced retirement age of 60 years, in spite of the fact that HCL had reduced retirement age to 58 years. Company paid VRS liability based on 58 years of retirement age as per its policy. It is clarified that fund for payment of VRS liability was provided by DHI/GOI based on retirement at the age of 58 years only and not on the basis of retirement age at 60 years. However, excess VRS liabilities for 2 years (58#60) were inadvertently booked in the accounts by the local Rupnarainpur unit Management, based on the demand for retirement age at 60 years made by the trade Unions. It has been noticed during this year and therefore written back.</p>
c	<p>Assets written off to the extent of Rs 5,23,444.34 which includes advance to employees under HBA Advance. Foregoing of such a material claim in our opinion proves prejudicial to the stake holders under liquidations.</p>	<p>HBA is to the extent of Rs. 86680.00 only and the same was recovered from the former employees at the time of separation of employment and at the time of payment of terminal dues. However, book adjustments were not done due to closure of HCL and discontinuity of employment of accountants. CAG in AQ No. 1/Finance Audit/HCL Kolkata/2020-21 dated 12/11/2021 has critically viewed against retaining this asset. Since, nothing is actually receivable as on date, it has now been considered appropriate to write off.</p>
d	<p>Reconciliation and confirmation of balances (excluding provision/ written off) under trade payable for goods/expenses, advances from customers, security deposits from contractors and other advances have not been carried out and obtained. In our opinion</p>	<p>Trade Payable : As per the Balance Sheet trade payable includes due to sundry creditor currently under litigation and current year’s undisputed audit fees. Therefore, reconciliation and confirmation of balances under trade payable are not required.</p> <p>Advance from Customers : The Company has not done balance confirmation for the liabilities as any action taken to seek</p>

<p>the consequential impact on the financial statement is not ascertainable pending such reconciliation and confirmation. Moreover lack of details has come in the way to quantify time barred liability and is consequential impact on the accounts.</p>	<p>balance confirmation will revive dead time barred claim. This will fasten liability on the Company, which the Company was not liable to pay due to law of limitation.</p> <p>Security deposits from contractors: Balance confirmation of undisputed security deposits from contractors have been obtained. Balance confirmation for disputed security deposit from one contractor has not been obtained as the contractor without any authority uprooted and damaged railway lines inside HCL Rupnarainpur premises, at the time of disposal of listed movable assets from the said unit. HCL did not release the security deposit for the fault of contractor but the contractor has not accepted HCL's action.</p> <p>Other advances: The figures include deposit made to High Court, as per its direction to secure stay of operation of an adverse order against the Company, rent receivable from BSNL for use of HCL, Rupnarainpur premises, security deposits held by state electricity Boards against electricity connections and TDS on FDs interest refundable to the Company as per I Tax portal (due to carry forward business losses). Balance confirmation for rent receivable from BSNL for use of HCL, Rupnarainpur premises has been obtained. Balance confirmation from High Court and State Electricity Boards are not required.</p> <p>Trade receivable: The recovery proceeding in respect of Trade Receivable cannot be pursued as the concerned employees who used to deal with the matter, were all separated through VRS on 31.01.2017 due to closure of the Company and complete records are not available now. As such provisions of trade receivable were made in previous years.</p>
---	---

Reply of Management to point (v) to Annexure-B to the Auditor's Report.

<p>Sn (v) of Annexure-B to Auditor's Report (CARO reporting)</p>	<p>The Company has deposits for excess of its eligibility in respect of which provision of section 73 to 76 of the Companies Act 2013, RBI directives have not been complied with.</p> <p>Relevant deposits are attributable to advance from customers assuming the role of depositor in application of Rule 2(xii)(a) of Companies (ACCEPTANCE OF DEPOSITS) Rule 2014.</p>	<p>This is in connection with share application money amounting to Rs153.92 crores, which was given by Government of India for discharging various liabilities towards closure of the Company in terms with approval accorded by the Union Cabinet on 28.09.2016.</p> <p>Since, liabilities to unsecured creditors under litigations have not yet been discharged for which fund was sanctioned and disposal of assets have not yet been done after which proceeds from sale (after making payment of all liabilities) is to be deposited to Consolidated Fund of India in terms with DPE guidelines, exact utilization of remaining fund and Consequent conversion into equity could not be determined. Hence, kept in share application money. The matter may be taken up with MHF for their direction in this regard.</p>
---	---	--

**INDEPENDENT AUDIT REPORT
TO THE MEMBERS OF HINDUSTAN CABLES LIMITED
Report on the Audit of the Standalone Financial Statements for the financial year 2021-22.**

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **HINDUSTAN CABLES LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at **31st March, 2022**, the Statement of Profit and Loss, and the Statement of Cash Flows for the year ended on that date, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of matter described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021, the profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

We draw attention to following matter:

- a) Financial Statements are claimed to have been drawn on liquidating concept in departure from going concern concept with assets held at historic cost in terms of Written Down Value which in our opinion is self-contradictory as Property, Plant & Equipment constituting major assets call for accountal on the basis of realisable value so as to render presentation of financial statement genuinely under liquidating concept. Our opinion is modified in this respect.

Besides relevant assertion and change in accounting policy remain without any change, cosmetic or major, in accounting practice vis-a-vis previous year where the company affirmed adherence of going concern concept.

- b) *Company had written back liabilities to the extent of Rs 99,23,71,801.35 which includes advance from Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL) to the extent of Rs.24,04,45,742.00 based on one sided action without any settlement with creditor concerned. Liability to salary & wages written back is Rs. 65,54,548.00 and receipt from Central Government of Rs. 1,14,48,805.00 to pay for VRS lying unpaid has not utilised as such rather the unpaid due being written back. The arrear salary & wages for which the amount was received has not been paid. We are unable to comment on correctness of write back for want of necessary documents and evidences in this regard.*

- (c) *Assets written off is to the extent of Rs.5,23,444.34 which includes advance to Employees under H. B. Advance. Forgoing of such a material claim in our opinion proves prejudicial to the interest of stakeholders under liquidations.*



d) *Reconciliation and confirmation of balances (excluding provision/written off) under trade payables for goods/expense, advances from customers, security deposits from contractors and other advances have not been carried out and obtained. In our opinion the consequential impact on the financial statement is not ascertainable pending such reconciliation and confirmation. Moreover lack of details has come in the way to quantify time barred liabilities and is consequential impact on the accounts.*

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements* section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to the fact that the share application money received is standing at Rs. 153.92 Crores which is pending allotment to Government of India. Hence financial impact due to non allotment of such shares cannot be ascertained at present.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statement

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern/not going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. We have concluded that a material uncertainty exists, and we have drawn attention in our auditors report to the related disclosures in the financial statements. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.




- b) Except for the effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion* in the paragraph above read with Emphasis of Matter paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account.
- d) Except for the effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion* in the paragraph above read with Emphasis of Matter paragraph above, in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
- g) we have complied with the directions given by the Comptroller and Auditor-General of India u/s 143(5) of the Act while conducting the audit, and on the basis of information and explanation given to us in this regard by the Company , given in "Annexure C" to this report, a statement on the matters specified in such directions;
- h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as stated in Note no 21 to the financial statements.
 - ii) The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii) There are no amounts to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company:
 - iv) The management has represented that to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested by the company to or in any other entity or person including foreign entities or provide any guarantee or security as undertaken by the management.



- v. No fund has been received by the company from any person or entity including foreign entity or provide any guarantee or security as undertaken by the management.
 - vi. Nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representation under clause (iv) and (v) above contain any material misstatement.
 - vii. No dividend or part was declared by company during the year as per Section 123 of Companies Act, 2013.
 - viii. The Company has been using such accounting software to maintain its books of accounts which has a feature of recording audit trail facility and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered with and the audit trail has been presented by the company as per the Statutory Requirements.
2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure B" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

For G. BASU & CO.
Chartered Accountants
R. No. 301174E


(P. BAGCHI)
Partner
(M. No. 051524)

UDIN : 22051524AVEQKY6286

Place : Kolkata

Date : September 23, 2022

Annexure - A The Auditors' Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Hindustan Cables Limited** ("the Company") as of **31 March 2022** in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.



Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion on adequacy (and therefore operating effectiveness) of Internal Financial Controls over Financial Reporting

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2022:


- a) The Company did not have an appropriate internal control system for obtaining periodic balance confirmations of trade receivables, trade payables and advances to suppliers and advances from customers' which could potentially impact the financial position and operating statement.
- b) The Company's operation being suspended for over fourteen years and Company being a sick industrial Company, therefore no adequate internal controls have been formulated by the management of the Company.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2022 financial statements of the Company and these material weaknesses do not affect our opinion on the financial statements of the Company.

For G. BASU & CO.
Chartered Accountants
R. No.-3/1174E


(P. BAGCHI)
Partner
(M. No. 051524)

UDIN : 22051524AVEQKY6286

Place : Kolkata

Date : September 23, 2022

Annexure - B to the Auditors' Report

The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of the Company on the standalone financial statements for the year ended 31 March 2022, we report that:

- (i)
 - (a) As per information and explanation given to us by the management, the Company has not maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets;
 - (b) As per information and explanation given to us by the management, all the title deeds of the immovable properties are held in the name of the Company.
 - (c) The company has not re-valued its property Plant & Equipment.
 - (d) As per information there is no benami property and all the properties Plant & Equipment are in the name of the Company and no proceedings in this regard are in existence.
- (ii) The Company has no inventories during the year under audit, hence paragraph 3(ii) of the Order is not applicable to the Company.
- (iii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Consequently, the provisions of paragraph iii(a),(b),(c) and (d) of the Order are not applicable to the Company and hence, not commented upon.
- (iv) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the Company has not made any investment, advanced any loan, given any guarantee or provided any securities to others and as such section 185 and 186 of the Company Act is not applicable.
- (v) The company has deposits for excess of its eligibility in respect of which provision of section 73 to 76 of the Companies Act, 2013, RBI directives have not been complied with.

Relevant deposits are attributable to advance from customers assuming the role of depositor in application of Rule 2(xii)(a) of Companies (ACCEPTANCE OF DEPOSITS) - Rule, 2014.
- (vi) The Company's manufacturing activity is stopped since long and the Government of India has given its consent for the closure of the Company, hence no cost records are being maintained.
- (vii)
 - a) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the company, amounts deducted/accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Value Added



Tax, Employee's State Insurance, Custom Duty, Excise Duty, cess or other material statutory dues have been generally regularly deposited during the period by the Company with appropriate authorities.

According to the information and explanation given to us no undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Value Added Tax, or other material statutory dues were in arrears as at 31st March, 2022 for a period of more than six months from the date they become payable except in following cases:

Particulars	Amount Rs. In Lakhs
Work Contract Tax	--
TDS Under GST	--
Property Tax (including Interest)	28.37
Tax Collected at Source	--
Tax Deducted at Source	--
Interest on Provident Fund	--
Pension	--
Total	28.37

b) According to the information and explanation given to us, the following dues have not been deposited by the company on account of dispute as at 31st March 2021:

Sl No.	Statue	Nature of Dues	Forum	Rs. In Lakhs	Year
1	The Central Excise Act,1944	Excise Duty	Hon'ble Supreme Court Of India	114.44	1981
2	The Central Excise Act,1944	Excise Duty	Commissionerate of Bolpur	80.97	1988-89 1991-92 1992-93
3	The Central Excise Act,1944	Excise Duty	Asst. Commissionerate of Asansol	38.32	1986-87 1990-91 2000-01 2001-02
4	The Central Excise Act,1944	Excise Duty	Asst. Commissionerate of Durgapur	1.19	1995-96

(viii) The Company does not have any loans or borrowings from any financial institution, banks, government or debenture holders during the year. Accordingly, paragraph 3(viii) of the Order is not applicable.




- (ix) According to the information and explanation given to us, the Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instrument) during the year. No term loan has been obtained by the company from bank or elsewhere.
- (x) Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us, we report that no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.
- (xi) According to information and explanation given to us, the Company has not paid or provided any managerial remuneration and hence paragraph 3(xi) is not applicable;
- (xii) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company is not a Nidhi Company and hence the paragraph 3(xii) is not applicable.
- (xiii) There was no transaction with any party within the meaning of section 177 & 188 of the Companies Act, 2013.
- (xiv) The company has not deputed any Internal Auditor for the financial year as stated and accordingly no internal audit has been conducted.
- (xv) According to information and explanation given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly the paragraph 3(xv) is not applicable the Company.
- (xvi) (a) In our opinion and on the basis of information and explanation given to us by the management, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
(b) The Company has not conducted nonbanking financial or housing activities.
(c) Since the Company is not a core investment company, the provision mentioned in this regard is not applicable.
(d) This is not applicable to the Company.
- (xvii) The Company has incurred cash losses from the operating activities in the year of Audit in 2021-22 as well as 2020-21. Such cash losses are as follow:
2021-22 : Rs. 2,54,88,170
2020-21 : Rs. 2,59,08,475
- (xviii) There is no such case in the current year.



- (xix) Central Government has decided closure of the company vide their letter dated 28.09.2016 by relieving all the employees for implementation of approved road map for closure as mentioned. All manufacturing activities of the company had been ceased since 2005.
- (xx) This Company does not come presently under the purview of Section 135(5).
- (xxi) Hindustan Cable Ltd., is a Standalone Company and as per information there is no subsidiary Company under H.C.L.

For G. BASU & CO.
Chartered Accountants
R. No.-301174E


(P. BAGCHI)
Partner
(M. No. 051524)

UDIN : 22051524AVEQKY6286

Place : Kolkata

Date : September 23, 2022

ANNEXURE 'C' TO THE AUDITOR'S REPORT

Report on the Directions by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2021-22

- 1. Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implication of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any may be stated.**

Yes, all the accounting transactions are accounted for through IT System. However, as explained to us, there are operations/transactions which take place outside the system but have a bearing on the accounts of the Company.

As per past practice, all transactions are manually entered in the software which maintains regular books of account.

As per existing practice, there are chances of some transactions being missed to be accounted as the flow of accounting transactions are not automated at the point of generation of transaction. The financial implications of transactions outside the IT system are unascertainable.

- 2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.**

There has not been restructuring of any loan and interest thereon during the current financial year with consequent waiver of write back involved therein.

- 3. Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

Subject to our comment in Para (a) & (b) of Basis for qualified opinion the Company had not received any funds from Central/State agencies during the current financial year as explained to us and on the basis of information available.

UDIN : 22051524AVEQKY6286

Place : Kolkata

Date : September 23, 2022

For G. BASU & CO.
Chartered Accountants
R. No.-301174E


(P. BAGCHI)
Partner
(M. No. 051524)

LAST TEN YEARS AT A GLANCE											(Rs. in lakhs)		
S. no.	Particulars	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13		
1	* Turnover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
2	Net Profit	8838.84	26956.07	1388.60	5185.59	70616.45	234846.15	(99411.81)	(93299.45)	(78188)	(88505)		
3	Gross Block	2563.71	2563.71	2563.71	2596.95	5321.38	45742.21	47425.26	47429.81	52553	52549		
4	Depreciation Provision	1948.02	1917.47	1886.47	1883.87	4362.36	42925.09	44151.43	43676.65	16172	47645		
5	Net Block	615.68	646.23	677.24	712.08	959.02	2817.12	3273.83	3753.16	4381	4895		
6	Net Current Assets - working capital	5141.00	(1311.57)	(33042.20)	(32179.21)	(37611.74)	(93417.65)	(115791.95)	(105487.63)	(91302)	(89396)		
7	Capital Employed	5756.69	(665.33)	(30078.52)	(31467.13)	(36652.72)	(90600.53)	(112518.12)	(100724)	(86922)	(84501)		
8	Secured Loan	0	0	0	0	0	0	353788.27	306571.83	264285	229195		
9	Unsecured Loan	0	0	0	0	0	1487.87	328531.76	287022.72	251697	215782		
10	Share Capital	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	41936.11	41936.11	41936.11	41936.11	41936.11		
11	Reserve and Surplus	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674		
12	Accumulated Loss	(501937.79)	(510776.63)	(537732.71)	(539121.32)	(544306.91)	(614923.37)	(849769.52)	(750372.31)	(657058)	(578870)		
13	Net Worth	(9675.68)	(18514.52)	(45470.60)	(46859.21)	(52044.81)	(91756.77)	(802159.41)	(702762.31)	(609448)	(531260)		
14	No. of employees	0	0	0	0	0	0	1333	1533	1698	1832		

Note : * Includes Scrap sale, Central excise duty but excludes interest and miscellaneous income.

CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER							(Rs in crores)		
S. no.	Heads	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18			
1	Sales Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72			
2	Central Excise Duty	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18			
3	Customs Duty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	Income Tax on Salary & Wages (including TDS on contractors and consultancy services)	0.11	0.10	0.25	1.53	11.41			
5	Rates and Taxes	0.37	0.38	0.38	0.00	0.00			
6	Licence Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	GST including GST TDS	0.07	0.07	0.21	4.18	0.00			
	Total	0.55	0.55	0.84	5.71	58.31			

HINDUSTAN CABLES LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022



A.	EQUITY AND LIABILITIES	Note no.	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
			(Rs in Hundreds)	(Rs in Hundreds)
	1. SHAREHOLDERS' FUNDS			
	a) Share Capital	2	486,588,112.50	486,588,112.50
	b) Reserve & Surplus	3	(496,263,801.52)	(505,102,641.92)
			<u>(9,675,689.02)</u>	<u>(18,514,529.42)</u>
	2. SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	23	<u>15,392,086.24</u>	<u>15,392,086.24</u>
	3. NON-CURRENT LIABILITIES			
	(a) Long-Term Borrowings	4	<u>40,296.85</u>	<u>2,457,113.19</u>
	4. CURRENT LIABILITIES			
	(a) Short-Term Borrowings		-	-
	(b) Trade Payables	5		
	(i) Total Outstanding Dues Of Micro Enterprises And Small Enterprises (MSME)		22,748.98	22,748.98
	(ii) Total Outstanding Dues Of Creditors Other Than MSME		1,375.00	1,406.25
	(c) Other Current Liabilities	7	2,259,353.86	9,761,125.83
	(d) Short Term Provisions	8	987,695.33	84,549.26
			<u>3,271,173.17</u>	<u>9,869,830.32</u>
	TOTAL		<u>9,027,867.24</u>	<u>9,204,500.33</u>
	B. ASSETS			
	1. NON CURRENT ASSETS			
	(a) Property Plant and Equipment	6	615,687.96	646,237.29
			<u>615,687.96</u>	<u>646,237.29</u>
	2. CURRENT ASSETS			
	(a) Trade Receivables	9	-	-
	(b) Cash and Cash Equivalents	10	8,042,499.18	7,965,020.02
	(c) Short Term Loans and Advances	11	111,167.60	293,880.60
	(d) Other Current Assets	12	258,512.50	299,362.43
			<u>8,412,179.28</u>	<u>8,558,263.05</u>
	TOTAL:		<u>9,027,867.24</u>	<u>9,204,500.33</u>
	Significant Accounting Policies	1		
	The accompanying notes are an integral part of the financial statements			

In terms of our report of even date.

For G. BASU & CO.
Chartered Accountants
R. No. 101174E

(P. BAGCHI)
Partner
(M No 051524)

Place : Kolkata

Dated: 23 SEP 2022

K. Mohan

Chairman and Managing Director
DIN - 08385809

K. MOHAN
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
HINDUSTAN CABLES LIMITED

Amal Kumar Bose
Advisor





HINDUSTAN CABLES LIMITED

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

	Note no.	For the year ended	For the year ended
		31st March, 2022	31st March, 2021
		(Rs in Hundreds)	(Rs in Hundreds)
I INCOME			
Other Income	13	333,519.83	390,164.17
Total Revenue		333,519.83	390,164.17
II EXPENSES			
Employees Benefits Expense	14	-	-
Other Expenses	15	1,382,613.68	355,975.47
Depreciation	6	30,549.34	31,006.80
Total Expenses		1,413,163.02	386,982.27
III Profit/(Loss) before Extra-Ordinary Item and Tax		(1,079,642.20)	3,181.89
Extra-Ordinary Items	16 & 24	9,918,483.57	26,952,894.39
IV Profit/(Loss) for the year		8,838,840.38	26,956,076.28
Earning Per Share - Basic and Diluted (Rs)	30	0.18	0.55
Significant Accounting Policies	1		
The accompanying notes are an integral part of the financial statements			


In terms of our report of even date.

For G. BASU & CO.
Chartered Accountants
R. No. 301174E

(P. BAGCHI)
Partner
(M. No. 05152)


K. Mohan

Chairman and Managing Director
DIN - 08385809


Amal Kumar Bose
Advisor

Place : Kolkata

Dated: 23 SEP 2022

K. MOHAN
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
HINDUSTAN CABLES LIMITED





HINDUSTAN CABLES LIMITED

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
	(Rs in Hundreds)	(Rs in Hundreds)
A Cash flow from operating Activities		
Net profit/loss (-) before taxation and extra-ordinary items	8,838,840.38	26,956,076.28
Add/(less) Adjustments for :		
Depreciation	30,549.34	31,006.80
Liabilities written back	(9,923,718.02)	(27,156,354.87)
Assets Written Off	5,234.44	203,460.48
Interest Income	(332,360.85)	(387,532.26)
Operating Cash flow before Working Capital Change	(1,381,454.71)	(353,343.57)
Adjustments for :-		
Decrease/(Increase) in Trade Receivables	-	13,001.17
Decrease/(Increase) in Loans & Advances	177,357.67	114,566.34
Decrease/(Increase) in Other Current Assets	40,849.93	42,144.27
Increase/(Decrease) in Short-Term Borrowings	-	8,787.58
Increase/(Decrease) in Trade payables	(31.25)	(125,007.00)
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	5,250.59	39,215.49
Increase/(Decrease) in Provisions	903,146.07	1,550.98
Operating Cash flow After Working Capital Change	(254,881.70)	(259,084.75)
Less: Direct Tax paid during the year	-	-
Net Cash from Operating Activities	A (254,881.70)	A (259,084.75)
B Cash flow from Investing Activities		
Interest received	332,360.85	387,532.26
Net Cash from Investing Activities	B 332,360.85	B 387,532.26
C Cash flow from Financing Activities		
Net Cash from Financing Activities	C -	C -
Net Increase / Decrease (-) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	77,479.15	128,447.51
Cash & Cash Equivalents (Opening)	7,965,020.03	7,840,694.49
Cash & Cash Equivalents (Closing) (Represented by Cash & Cash Equivalents as item indicated in Note 10)	8,042,499.18	7,969,142.00

In terms of our report of even date.

For G. BASU & CO.
Chartered Accountants
R. No.-307174E

(P. BAGCHI)
Partner
(M. No. 051524)

K. Mohan

Chairman and Managing Director
DIN - 08385809

Amal Kumar Bose
Advisor

Place : Kolkata

Dated: 23 SEP 2022

K. MOHAN
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
HINDUSTAN CABLES LIMITED



NOTE 1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a) SYSTEM OF ACCOUNTING

These financial statements have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India under the historical cost convention on accrual basis. The Company has not compiled its accounts on the basis of going concern concept. The Company has adopted liquidation basis of accounting for preparation of its financial statements. The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

b) FIXED ASSETS

Cost of Fixed Assets, with the exception of land given by the State Government of West Bengal and Andhra Pradesh free of cost, comprises its purchase price, cost of bringing the asset in its working condition for its intended use and financing cost relating to deferred credit/borrowed fund attributable to construction/acquisition for the period till it is available for use.

Land given to the Company free of cost by West Bengal Government for erection of the factory at Rupnarainpur in 1952-53 is valued at a nominal price of Rs.1,530.00(Rs. in Hundreds). Similarly, land given by Andhra Pradesh Government free of cost for construction of factory at Hyderabad is valued at a nominal price of Rs.300.00(Rs. in Hundreds). The valuation of these lands have been accounted for with the appropriate credit in Capital Reserve Account.

The gain or loss arising out of restatement of foreign currency loan at a rate prevailing as on the date of Balance Sheet is treated as adjustment of cost of fixed asset and is included in the carrying amount of the appropriate fixed asset.

c) DEPRECIATION:

Depreciation on fixed assets has been provided on straight line method based on useful life specified in Schedule II of the Companies Act, 2013 after retaining residual value of 5% of the Original Cost of the assets. Depreciation is provided on pro-rata basis for Addition/Deletion of assets during the year.

d) LIABILITY :

All known and ascertained liabilities, except of immaterial in nature, as on the date of Balance Sheet are taken into Account on accrual basis.

e) PRIOR PERIOD ITEMS:

Prior period items are income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods and accounted for accordingly.

f) BASIS OF PREPARATION

All assets & liabilities have been classified as Current or Non-Current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash & cash equivalents, the company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of Current - non current classification of assets and liabilities.

g) USES OF ESTIMATES

The presentation of financial statement in conformity with the Indian GAAP requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known/materialised.



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

Rs. In Hundreds

Rs. In Hundreds

As at 31st March, 2022

As at 31st March, 2021

2 SHARE CAPITAL

Authorised :

6,00,00,00,000 Equity Shares @ Rs 10/- each

(Previous year 6,00,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10

600,000,000.00

600,000,000.00

Issued, Subscribed and Paid-up:

4,865,881,125 Equity Shares of Rs. 10 each

fully paid-up (Previous year 4,865,881,125

Equity Shares of Rs. 10 each)

486,588,112.50

486,588,112.50

a) Equity Shares

Balance at the beginning of the year

486,588,112.50

486,588,112.50

Add: Alloted during the year

Balance at the end of the year

486,588,112.50

486,588,112.50

b) Details of Shareholders holding of Promoters in the Shares held by promoters at the end of the year

Equity Shares of Rs 10/- each fully paid

Name of the Promoter	No. of Shares	% of Holding	% Change	No. of Shares	% of Holding	% Change
			during the year			during the year
President of India	4,865,881,125	100.00%	-	4,865,881,125	100.00%	-

No Calls are unpaid by any Director of the Company during the year.

3 RESERVE & SURPLUS

Capital Reserve

(Represents the credit for land acquired free of cost from Govt. of AP & WB).

1,830.00

1,830.00

A

1,830.00

1,830.00

GENERAL RESERVE

Opening Balance

5,672,163.18

5,672,163.18

Add : Debenture Redemption Reserve

Transferred from Capital Reserve

Add : Bond Redemption Reserve Transferred from Capital Reserve

Closing Balance

B

5,672,163.18

5,672,163.18

SURPLUS/(DEFICIT)

Opening Balance

(510,776,635.07)

(537,732,711.39)

Add : Net Profit for the year

8,838,840.38

26,956,076.28

Closing Balance

C

(501,937,794.70)

(510,776,635.10)

Net Balance

A+B+C

(496,263,801.52)

(505,102,641.92)



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

	Rs. In Hundreds		Rs. In Hundreds	
	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
4 NON-CURRENT LIABILITIES				
Long-term Borrowings :				
Unsecured Loans :				
Deposits				
-Advance from Customers		40,296.85		2,457,113.19
		<u>40,296.85</u>		<u>2,457,113.19</u>
CURRENT LIABILITIES				
5 TRADE PAYABLES				
(i) Total Outstanding Dues Of Micro Enterprises And Small Enterprises (MSME)(Note 19)	22,748.98		22,748.98	
(ii) Total Outstanding Dues Of Creditors Other Than MSME	1,375.00	24,123.98	1,406.25	24,155.23
		<u>24,123.98</u>		<u>24,155.23</u>

TRADE PAYABLE AGEING SCHEDULE

PARTICULARS	2021-2022					Total	2021-2022					Total
	Less than 1 Year	1-2 Years	2-3 Years	More Than 3 Years			Less than 1 Year	1-2 Years	2-3 Years	More Than 3 Years		
(i) MSME												
(ii) OTHERS	1,375.00					1,375.00	1,406.25					1,406.25
(iii) DISPUTED DUES -MSME				22,748.98		22,748.98				22,748.98		22,748.98
(iv) DISPUTED DUES -OTHERS												

7 Other Current Liabilities

Interest on advance from MTNL									5,987,497.58	
Liabilities against Capital Advance					2,009,000.00				2,009,000.00	
Other Payables-										
Liabilities for Expenses					34,624.75				363,131.52	
For Expenses					18,537.93				295,465.67	
For Statutory Dues					30,646.90				39,446.67	
Employee related payable					93,914.00				378,220.78	
Security Deposits					72,630.28				185,484.93	
Other Payables									502,878.68	9,761,125.83
						<u>2,259,353.86</u>				<u>9,761,125.83</u>

8 SHORT TERM PROVISIONS :

For Employee Benefits		82,998.28				82,998.28
For Wages of Contract Labour		1,550.98				1,550.98
For TDS		6,696.63				-
For GST		28,557.45				-
For Income Tax		867,891.99				-
					<u>987,695.33</u>	<u>84,549.26</u>

CURRENT ASSETS

9 TRADE RECEIVABLES

Debts Outstanding for more than 6 months Considered Doubtful	17,713,676.49	17,713,676.49	17,713,676.49	17,713,676.49
Less: Provision for Doubtful Trade Receivables		<u>17,713,676.49</u>		<u>17,713,676.49</u>

TRADE RECEIVABLES AGEING SCHEDULE

PARTICULARS	2021-22					Total	2020-21					Total
	Less than 6 months	6 months- 1 year	1-2 Years	2-3 years	More Than 3 Years		Less than 6 months	6 months- 1 year	1-2 Years	2-3 years	More Than 3 Years	
(i) UNDISPUTED TRADE RECEIVABLES-CONSIDERED GOOD												
(ii) UNDISPUTED TRADE RECEIVABLES-CONSIDERED DOUBTFUL												
(iii) DISPUTED TRADE RECEIVABLES-CONSIDERED GOOD												
(iv) DISPUTED TRADE RECEIVABLES-CONSIDERED DOUBTFUL					17,713,676.49	17,713,676.49					17,713,676.49	17,713,676.49




NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

NOTE 6 : PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT

(Rs. In Hundreds)

	Freehold Land	Approach Road	Land Development	Factory & office Building	Admin Building	Building Residential	Non Residential Building	Water supply and sanitation	Railway Sidings	Furniture, Fittings, Office equipments	Computers	Total
COST												
As at 01-04-2021	31,062.65	2,375.95	233,776.12	203,857.53	38,056.57	1,407,558.80	318,773.06	105.07	12,589.07	213,097.25	102,464.92	2,563,716.99
Additions during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer/ Deductions/ Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As at 31-03-2022	31,062.65	2,375.95	233,776.12	203,857.53	38,056.57	1,407,558.80	318,773.06	105.07	12,589.07	213,097.25	102,464.92	2,563,716.99
DEPRECIATION												
As at 01-04-2021	-	2,257.15	222,087.27	174,069.92	22,751.47	912,816.12	272,337.97	99.82	11,959.59	201,758.73	97,341.65	1,917,479.69
For the year	-	-	-	1,986.48	1,206.39	22,239.43	5,036.61	-	-	80.43	-	30,549.34
Transfer/ Deductions/ Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As at 31-03-2022	-	2,257.15	222,087.27	176,056.40	23,957.86	935,055.55	277,374.58	99.82	11,959.59	201,839.16	97,341.65	1,948,029.03
NET BLOCK												
As at 01-04-2021	31,062.65	118.80	11,688.85	29,787.61	15,305.10	494,742.68	46,435.09	5.25	629.48	11,338.52	5,123.27	646,237.29
As at 31-03-2022	31,062.65	118.80	11,688.85	27,801.13	14,098.71	472,503.25	41,398.48	5.25	629.48	11,258.09	5,123.27	615,687.96



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

	Rs. In Hundreds		Rs. In Hundreds	
	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
10 CASH & CASH EQUIVALENTS				
Cash in hand	35.56	35.56	1.90	1.90
In Fixed Deposits with Scheduled Banks:				
Indian Overseas Bank	-		20,985.87	
BOB	7,117,939.45		5,023,670.75	
Indian Bank	262,328.99		261,089.20	
State Bank of India	-	7,380,268.44	2,627,679.16	7,933,424.98
In current Accounts with Scheduled Banks:				
State Bank of India (All branch)	872.53		6,652.11	
Bank of Baroda	612,418.60		(4,121.98)	
Indian Bank	48,904.05		27,931.25	
Indian Overseas Bank	-	662,195.18	1,131.76	31,593.14
		<u>8,042,499.18</u>		<u>7,965,020.02</u>
11 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES				
Advance recoverable in cash or kind or for value to be received :				
Considered Good		48,383.78		52,990.32
Considered Doubtful		199,775.42		199,775.42
		248,159.20		252,765.74
Less: Provision for Doubtful Advance		199,778.90		199,778.90
		48,380.30		52,986.84
Others amounts Receivable		1,463.44		1,118.75
Advance Payment of Income Tax and TDS	192,090.13		181,010.59	
Less : Provision against Advance Payment of Income Tax and TDS	130,766.27	61,323.86	-	181,010.59
Other Advances	58,218.60		58,764.42	
Less : Provision against Doubtful Assets	58,218.60	-	-	58,764.42
		<u>111,167.60</u>		<u>293,880.60</u>
12 OTHER CURRENT ASSETS				
Balances with Revenue Authorities		108,137.26		87,684.09
Accrued Interest		150,375.24		211,678.34
		<u>258,512.50</u>		<u>299,362.43</u>



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

	Rs. In Hundreds		Rs. In Hundreds	
	For the year ended 31st March,2022		For the year ended 31st March,2021	
13	<u>OTHER INCOME</u>			
	Interest	332,360.85		387,532.26
	interest on IT refund	1,119.03		2,628.68
	Miscellaneous Income	39.95		3.23
		<u>333,519.83</u>		<u>390,164.17</u>
14	<u>EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS</u>			
	Salaries & Wages	-		-
		-		-
15	<u>OTHER EXPENSE :</u>			
A	Power & Fuel	-		262.61
	Electricity Charges	2,288.82		6,186.84
	Repairs to :			
	Others	<u>2,795.12</u>	<u>2,795.12</u>	<u>2,829.27</u>
	Rates and Taxes	36,587.40		35,791.10
	Retainership fees (consultants)	42,384.14		63,163.96
	Consultancy Fees	8,159.44		16,760.00
	Travelling & Conveyance	6,852.76		8,240.72
	Postage, Telegram & Telephone	1,088.29		1,261.80
	Interest on Others	4.65		2,088.49
	Bank charges	466.61		43.24
	Audit Fees:-			
	Statutory Audit	1,250.00	1,250.00	
	Tax Audit	<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	1,500.00
	Management services	6,000.00		5,530.00
	Printing & Stationery	932.66		845.02
	Legal Expense	27,303.88		7,900.92
	Wages for Contract Labour	-		1,550.98
	Security Expenses	71,546.64		75,537.58
	Professional fees	4,264.60		13,059.00
	Miscellaneous Expenses	514.51		936.96
	Other Expenses	284.08		504.90
		<u>212,973.60</u>		<u>243,993.39</u>



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

Rs. In Hundreds

Rs. In Hundreds

For the year ended
31st March, 2022

For the year ended
31st March, 2021

B PROVISIONS :

Provision for Doubtful Debts	-	10,581.97
Provision against Doubtful Assets	188,984.87	-
Provision for GST Payable	28,557.45	-
Provision for Income Tax	867,891.99	-
Provision for TDS Payable	6,696.63	101,400.11

1,092,130.94

111,982.08

C PRIOR PERIOD ADJUSTMENT:

Other Expenses	77,509.14	-
----------------	-----------	---

77,509.14

-

TOTAL [A+B+C]

1,382,613.68

355,975.47

16 EXTRA-ORDINARY ITEMS

[Refer Note - 24]

Liability Written Back	9,923,718.02	27,156,354.87
Assets Written off	(5,234.44)	(203,460.48)

9,918,483.57

26,952,894.39



NOTE:17

a) Contingent liability not provided for :	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
	Rs. in Hundreds	Rs. in Hundreds
i) Cases under Arbitration	81,000.00	81,000.00
ii) Other Court Cases	20,122,220.21	3,598,470.00
iii) Dy Labour Commissioner	13,300.00	13,300.00
iv) Labour Court	128,160.00	128,160.00
v) C.G.Industrial Tribunal	475,000.00	475,000.00
vi) Industrial Tribunal	3,760.00	3,760.00
vii) Arrear against pay revision (including PF)	1,727,580.00	1,727,580.00
viii) Proposal for levy of Damages u/s 14B of the EPF & MP Act, 1952	290,730.00	290,730.00
ix) Claim of a contractor under subjudice	64,160.00	64,160.00
x) Balance Gratuity awarded to Casual Employees by Asst. Labour Commissioner	173,120.00	173,120.00
xi) Disputed claim of subcontractor/ Supplier/ Consultant	-	-
xii) Estimated amount of Excise Duty and interest thereon , not provided for	367,350.00	367,350.00
xiii) Balance Gratuity awarded to V.R Employees by Asst Labour Commissioner	62,460.00	62,460.00
xiv) Terminated/Suspended employees revised wages	83,710.00	83,710.00
xv) ESI & CC To ESI (Employees)	16,480.00	16,480.00
xvi) ESI (Land Displaced Persons up to 31.03.2017)	10,660.00	10,660.00
xvii) Amount received on closure of trust	19,000.00	19,000.00
xviii) Demand for enhanced Compesation for the land acquired by TSIIIC for the purpose of HCL in Mallur, Hyderabad	72,910.00	72,910.00
xix) Members of HCE Cooperative Credit Society have claimed interest on due amount	133,000.00	133,000.00
xx) Claim of 1992/1997 Wage revision pending Adjudication	1,212,105.48	1,146,560.00
xxi) Claim of salary and wages for 58-60 including PF but excluding interest on PF pending adjudication	2,774,330.00	2,774,330.00

b) In none of the cases cash outflow is envisaged at this point of time as assessed by the management.

NOTE 18 The entire Trade Receivables being considered doubtful has been fully provided for in previous years.

NOTE 19 As company's manufacturing activities have been ceased since 2005, the company has not been making any procurement since then, including from MSME. There is old outstanding balance of Rs 22748.98(Rs. in Hundreds) ((previous year Rs. 22748.98 (Rs. in Hundreds)) of MSME relating to the period prior to 2005, which are either time barred or under litigation. Hence no interest on the principle amount has been provided as per the MSME Act.

NOTE 20 Dues assessed under section 7A of the EPF & MP Act, 1952 by RPF/SRO/DGP along with interest thereon upto 31.03.2018 has been paid as statutory dues, however appeal is pending at EPFAT.

NOTE 21 As per the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013, depreciation for the year ended 31.03.2022 has been provided on the basis of useful life of the assets.

NOTE 22 As per DHI's letter no. 1(13)/2003-PE-II (Vol.X) dated 6th October, 2016, closure of HCL would be done by relieving all the employees for implementation of approved Roadmap for closure of CPSEs under DHI. This would be achieved by offering attractive VRS/VSS package, retrenchment of the employees not opting VRS/VSS under Industrial Disputes Act, 1947 (IDA), settlement of all employee related liabilities including payment of salary and wages from April 2015 till they are separated from the Company. Accordingly all employees were released on 31.01.2017.



NOTE 23 Since the year 2003, the Company has availed various loans from time to time from Government of India for payment of salary, wages and other statutory dues. Aggregate of such loan as on 31.3.2016 is Rs. 1,31,188.48 Lakhs of principal and Rs.1,61,660.97 Lakhs of interest totaling to Rs. 312849.45 Lakhs. Additional interest of Rs. 56348.04 Lakhs has been accrued during the period from 1.4.2016 to 30.9.2016. DHI vide their letter No.1(13)/2003-PE-II (VOL X), dated 6.10.2016 has conveyed approval of Union Cabinet for "conversion into equity of the existing Govt. of India's loan of Rs. 3467.15 crore (projected) (Principal of Rs.1311.88 crore and interest of Rs.2155.27 crore), as on 30.9.2016 (freezing the interest thereafter)."

In terms of the approval of the Union Cabinet in meeting held on 28.9.2016 for closure of Hindustan Cables Limited, during the financial year 2016-17 the Company has received cash infusion in the form of non-plan loan for Rs.25,850.00 Lakhs and Rs.14,150.00 Lakhs totaling to Rs.40,000.00 Lakhs. The said amount was utilized for OTS of the dues to secured lenders and payment of part of pending salary, wages and statutory dues. Further during financial year 2016-17, the Company has received sanction of cash infusion in the form of non-plan equity amounting to Rs.16,413.00 Lakhs, Rs.46,932.00 Lakhs, Rs. 2148.00 Lakhs and Rs.866.00 Lakhs. These amounts were utilized for payment of balance salary, wages and statutory dues, payment of VRS compensation inclusive of gratuity and terminal leave encashment, payment to casual workers and payment against court orders in the case of O.Munniswamy Reddy and others.

A table containing sanction order Nos., date, etc. and reconciliation of share application money pending allotment amounting to Rs 15392.08 lakhs is given below:

Particulars				Amount in INR (Lakhs)
GOI Principal Loan Amount as on 1st April, 2016				131,188.48
Interest on Loan Accrued and Due as on 1st April, 2016				181,660.97
Interest on Loan Accrued and Due for 2016 -17				52,259.43
Interest on Loan Accrued but Not Due as on 30.09.2016				4,088.61
Total				369,197.49
Loan/Equity Amount Received during 2016 -17				
Sl No.	GOI Order	Order Date	Nature	Amount in INR (Lakhs)
1	No.1(16)/2015-PEII(I)	30.09.2016	Non-plan loan	25,850.00
2	No.1(16)/2016-PEII(II)	30.09.2016	Non-plan loan	14,150.00
3	No.1(3)/2013-PEII(I)	17.01.2017	Non-plan equity	16,413.00
4	No.1(3)/2013-PEII(V)	17.01.2017	Non-plan equity	46,932.00
5	No.1(3)/2013-PEII(II)	17.01.2017	Non-plan equity	2,148.00
6	No.1(3)/2013-PEII(III)	17.01.2017	Non-plan equity	866.00
Total				106,359.00
Less : Amount transferred to GOI during FY 2017-18				15,000.00
Less : Reversal of excess interest booked in earlier years				511.41
Less: Amount paid on behalf of GOI for purchase of shares of HCL from Canara Robeco Mutual fund				1.00
Less : Shares Allotted to Government of India (4,44,65,20,000 no of shares of Rs. 10 each)				444,652.00
Share Application Money Pending Allotment				15,392.08

NOTE 24 Extra-Ordinary items

Extra-Ordinary Item Rs. 9923718.02(in hundreds) on account of liabilities written back includes due to MTNL Rs. 8391955.00(in hundreds) and Other liabilities Rs. 1531763.02(in hundreds) for which being barred by time limitation has been adjusted and Rs.5234.44(in hundreds) on account of Assets Written Off for which assets not identifiable or not receivable. Details is as per as given below:

Heads	Amount Rs. In Hundreds
Liabilities Written Back	9,923,718.02
Assets Written Off	(5,234.44)
Total	9,918,483.57

NOTE 25 Short Terms Loans and Advances includes an amount of Rs. 48000.00(Rs. in Hundreds) deposited with the Registrar as per the direction of Honorable High Court at Calcutta as per order sheet no EC 285 of 2017 dated 20th Day of June'2019 in a case which is pending against DARCL Logistics Limited & CJ DARCL Logistics Limited.

NOTE 26 As per the order of Honorable High Court of Calcutta vide IA No : GA/1/2020 dated 15th day of November,2021 a Bank Guarantee dated 14.12.2021. issued of Bank of Baroda Jodhpur Park Branch of an amount of Rs.50000.00(Rs. in Hundreds) against Fixed Deposit maintained with Bank of Baroda Jodhpur Park Branch has been furnished to the Registrar in a case which is pending against M/s Joy Maa Santoshi Saw Mill.

NOTE 27 The Fixed Assets includes Land and Building situated at Narendrapur(West Bengal) and Jodhpur Park(West Bengal) which have been sold vide deed of registration dated 24th day of May'2022. Advance received amounting Rs. 2009000.00(Rs. in Hundreds) against the said Fixed Assets has been shown under the head "Liabilities against Capital Advance" under " Other Current Liabilities"

NOTE 28 Information pursuant to AS - 18 "Related Party Transactions There are no transactions with the related parties during the year.

NOTE 29 As the companys manufacturing activity is stopped since long, and Government of India has decided for the closure of the Company, hence no segement results has been prepared.



NOTE 30 Calculation of Earning per Share :	2021-22	2020-21
Profit/(Loss) as per Profit & Loss A/c (Rs.)	883,884,038	2,695,607,628
Weighted Average No. of Shares	4,865,881,125	4,865,881,125
Earning per share	0.18	0.55

NOTE 31 Ratios

The ratios for the year ended March 31,2022 and March 31,2021 are as follows:

Particulars	As at March 31,2022	As at March 31,2021	Variance (In %)
Current Ratio	2.57	0.87	170.45
Debt-Equity Ratio	0.00	-0.13	12.85
Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
Return on Equity Ratio	0.00	0.00	-
Inventory Turnover Ratio	NA	NA	NA
Trade Receivable Turnover Ratio	NA	NA	NA
Trade payables turnover ratio	NA	NA	NA
Net Capital Turnover Ratio	NA	NA	NA
Net Profit Ratio	-3.24	0.01	(324.53)
Return on Capital Employed	-0.19	0.00	(18.28)
Return on Investments	NA	NA	NA

1.Net profit has been considered before extraordinary Items

2.The variance more that 25% is due to Liabilities written back,Asset written off,Provisions and Prior Period items

NOTE 32 The Company has adopted liquidation basis of accounting for preparation of its financial statements. Under liquidation basis of accounting, assets are required to be stated at net realizable value. Considering the statutory deadline for conclusion of accounts and filing thereof with M.C.A within specified time span, assets for the year continue to remain stated at historical cost. Stating of assets at net realizable value by following due procedure is expected to be implemented for compilation of accounts from the next financial year i.e. financial year 2022-23.

NOTE 33 No provision for income tax and MAT relating to current financial year has been computed as the company is a sick company and it has unabsorbed carry forward losses as per last years return. However, appropriate provision has been made for Income Tax on Capital Gain for previous financial years.

NOTE 34 The figures for the previous year have been rearranged and regrouped wherever necessary.

In terms of our report of even date.


K. Mohan

Chairman and Managing Director
DIN - 08385809



Amal Kumar Bose
Advisor

Place : Kolkata

Dated: 23 SEP 2022

For G. BASU & CO,
Chartered Accountants
R. No.-301174E

(P. BAGCHI)
Partner
(M. No. 051524)

K. MOHAN
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
HINDUSTAN CABLES LIMITED



(under the Ministry of Heavy Industries)
Website : www.hindcables.net

Corporate Office

Flat no. J-0, Golf Link Apartment,
50, Chanditala Lane, Kolkata – 700040
Email : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

Rupnarainpur Unit

P.O. Hindustan Cables
Rupnarainpur – 713335
District : West Burdwan, West Bengal
Email : ojharavi7@gmail.com

Hyderabad Unit

P.O. Hindustan Cables
Hyderabad – 500051, Telengana
Email : hindustan_cables@yahoo.com

Allahabad Unit

Flat no. A-17, Agnipath Housing Scheme,
7, T.B. Sapru Road,
Civil Lines,
Allahabad – 211001, Uttar Pradesh
Email : 016Paras@gmail.com

2021-22

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



70वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मण्डल, लेखा परीक्षक, बैंकर्स	2
2	वार्षिक आम बैठक की सूचना	3-6
3	निदेशकों का प्रतिवेदन	7-11
4	सचिवीय लेखा परीक्षण प्रतिवेदन	12-17
5	फॉर्म एम जी टी - 9	18-27
6	भारत के लेखा-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	28
7	सांविधिक लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों पर कंपनी का स्पष्टीकरण	29-31
8	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा- परीक्षकों का प्रतिवेदन	32-45
9	पिछले दस वर्षों की एक झलक	46
10	31.03.2022 तक का तुलन-पत्र	47
11	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	48
12	31.03.2022 को समाप्त वर्षों के लिए नकद प्रवाह विवरण	49
13	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं खातों पर टिप्पणियाँ	50-60
14	कार्यालयों का स्थान	61



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री के. मोहन	: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री विवेक नारायण	: निदेशक
श्री मदन पाल सिंह	: निदेशक
श्रीमती सुषमा बात्रा	: निदेशक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स जी. बासु एण्ड कंपनी (सी ए 003)
सनदी लेखाकार
कोलकाता

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा
इंडियन बैंक

पंजीकृत कार्यालय

1/315, गरियाहाट रोड (जोधपुर पार्क)
कोलकाता-700068

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
नैगम कार्यालय
फ्लैट नं. जै-0, गल्फ लिंक अपार्टमेंट
50, चण्डितला लेन, कोलकाता-700040



HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Govt of India Undertaking)
CORPORATE OFFICE
Flat No. J-O, Golf Link Apartment
50, Chanditala Lane,
KOLKATA-700040

सी आई एन : L31300WB1952GOI020560

ई-मेल : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

वेबसाइट : www.hindcables.net

सी ओ आर पी/एस ई सी/70वीं ए जी एम/2021-22

दिनांक : 26.12.2022

70वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में संशोधन

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ('कंपनी') ने उक्त मूल नोटिस में निर्दिष्ट अनुसार चार व्यावसायिक मदों (3 साधारण व्यवसाय और 1 विशेष व्यवसाय) पर चर्चा करने के लिए बुधवार, 28 दिसंबर, 2022 को दोपहर 12.00 बजे फ्लैट नंबर जे-ओ गोलफ लिंक अपार्टमेंट, 50, चण्डितला लेन, कोलकाता -700040 में आयोजित होने वाली 70वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का एक नोटिस (मूल नोटिस) दिनांक 07 दिसंबर, 2022 को जारी किया था।

उपरोक्त के अलावा, एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निदेशकों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, मद संख्या 4 में विशेष व्यवसाय के तहत उल्लिखित विशेष संकल्प को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा और आगे की बैठक उसी तारीख और स्थान (मूल सूचना में उल्लेखित 12.00 बजे दोपहर के बजाय) पर 2.30 बजे अपराह्न में होगी :

4. विशेष संकल्प के रूप में:

समाधान किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1) (ए) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 के अध्ययन के साथ और अन्य लागू प्रावधानों के तहत, यदि कोई है, जिसमें कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स एसोसिएशन के प्रावधान शामिल हैं, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति हो और एतद्वारा अनुबंध '1' में उल्लिखित कंपनी की अचल संपत्तियों की बिक्री/स्थानांतरण/हाइव ऑफ/निपटान के लिए ऐसी संस्था को और ऐसे नियमों और शर्तों पर प्रदान की जाती है जैसा कि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

'आगे समाधान किया गया कि सी एम डी, एच सी एल एतद्वारा उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों के निष्पादन सहित सभी आवश्यक कार्यों को करने के लिए अधिकृत है।'

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से भी भाग लिया जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
भवदीय

(के. मोहन)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान : कोलकाता



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
नैगम कार्यालय
फ्लैट नं. जै-0, गल्फ लिंक अपार्टमेंट
50, चण्डितला लेन, कोलकाता-700040



HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Govt of India Undertaking)
CORPORATE OFFICE
Flat No. J-O, Golf Link Apartment
50, Chanditala Lane,
KOLKATA-700040

सी आई एन : L31300WB1952GOI020560

ई-मेल : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

वेबसाइट : www.hindcables.net

सी ओ आर पी/एस ई सी/70 ए जी एम/2020-21

दिनांक : 07.12.2022

70वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की 70वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 28 दिसंबर, 2022 को हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कॉरपोरेट आफिस, फ्लैट नं. जे-0, गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50 चण्डितला लेन, कोलकाता-700040 में 12.00 बजे दोपहर को निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय

- 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक के प्रतिवेदन को विचार करना एवं अपनाना।
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा तथा उस तारीख का तुलनपत्र के साथ उस पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना तथा अपनाना।
- वर्ष 2022-23 के लिए लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना :

4. विशेष संकल्प के रूप में

समाधान किया गया कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अध्ययन के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुसार तथा अन्य लागू प्रावधानों के अधीन, यदि कोई हो, सम्मिलित कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख के प्रावधान, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति और एतद्वारा अनुलग्नक '1' में उल्लिखित कंपनी की अचल संपत्तियों की बिक्री/स्थानांतरण/हाइव ऑफ/निपटान के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर प्रदान की जाती है जैसा कि भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

'आगे समाधान किया गया कि कंपनी के शेयरधारकों की सहमति और इसके द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को सभी अचल संपत्तियों को इकाई को सौंपने के लिए भी प्रदान किया जाता है, जैसा कि इन अचल संपत्तियों की बिक्री को लागू करने और कंपनी को अचल संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त होने वाली पूरी आय वापस करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

'आगे समाधान किया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा ऐसे सभी कार्यों और चीजों को करने और ऐसे विलेख, कागजातों और दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और आगे सभी या किसी को भी सौंपने के लिए बोर्ड की किसी भी समिति या किसी भी निदेशक को यहां दी गई शक्तियों का बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझ सकता है।



मीटिंग में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भी भाग लिया जा सकता है।

निवेदक मंडल के आदेशानुसार
कृते हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
आपका आभारी,

(के. मोहन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 07.12.2022

सेवा में

सभी सदस्यगण, निदेशक एवं लेखापरीक्षक

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (संलग्न सूची के अनुसार)

टिप्पणी :

1. किसी बैठक में भाग लेने एवं वोट देने हेतु अधिकार प्राप्त सदस्य, अपने स्थान पर किसी ऐसे प्रतिनिधि को भाग लेने एवं वोट देने हेतु नामित कर सकते हैं, जो कि कंपनी का सदस्य नहीं हो। प्रतिनिधि-फार्म की एक प्रतिलिपि संलग्नित है, जिसे यदि प्रयोग किया गया हो, तो उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पूरी तरह से भर कर बैठक के प्रारंभ होने से 48 घण्टा पहले जमा करें।
2. कंपनी के सदस्यों का पंजीयन तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 02.08.2022 से 15.08.2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद कर दिया गया है।



व्याख्यात्मक विवरण
(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसार)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.09.2016 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, एच सी एल को बंद करने, अपने सभी कर्मचारियों को वी आर एस/वी एस एस की पेशकश करने और मौजूदा डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार सभी चल और अचल संपत्तियों का निपटान करने की मंजूरी दी, जिसे भारी उद्योग विभाग (डी एच आई) द्वारा पत्र एफ नं. 1(13)/2003-पीई.II(बॉल्यूम X) दिनांक 06.10.2016 के तहत सूचित किया गया। अध्यक्ष ने सूचित किया कि भविष्य में कंपनी के समापन/विघटन के लिए कंपनी की अचल संपत्तियों की बिक्री/हस्तांतरण/हाइव ऑफ/निपटान करना आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180 (1) (ए) के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी, एक विशेष संकल्प के माध्यम से बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा पूरे या काफी हद तक कंपनी के पूरे उपक्रम का निपटान करने की आवश्यकता है।

कंपनी की मौजूदा अचल संपत्तियों की सूची जिनका केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार निपटान किया जाना है, नीचे दी गई है:-

क्र.	संपत्ति का विवरण	क्षेत्र
1	गोल्फ लिंक अपार्टमेंट में 4 फ्लैट, 50, चंडितला लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	ई-1 - 78.97 वर्गमीटर ई-2 - 78.97 वर्गमीटर एल-2 - 78.97 वर्गमीटर जे-0 - 94.76 वर्गमीटर
2	जूही हाउसिंग स्कीम, इलाहाबाद, यूपी- 5 फ्लैट	बी-38 108.24 वर्गमीटर, बी-45 107.20 वर्गमीटर बी-46 108.24 वर्गमीटर ए-68 - 108.24 वर्गमीटर सी-36- 107.20 वर्गमीटर
3	अग्निपथ हाउसिंग स्कीम, इलाहाबाद, यूपी में 2 फ्लैट	ए-17 -96.49 वर्गमीटर ए-19 - 112.09 वर्गमीटर
4	1 अपार्टमेंट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली	182 वर्ग मीटर
5	रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल में फ्रीहोल्ड भूमि	947.23 एकड़
6	हैदराबाद, तेलंगाना में फ्रीहोल्ड भूमि	324 एकड़ और 35 गुंटा
7	राश बिहारी एवेन्यू, कोलकाता में गेस्ट हाउस -	237 वर्ग मीटर

निदेशकों ने शेयर धारकों के अनुमोदन के लिए नोटिस के आइटम नंबर 4 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश की।

किसी भी निदेशक, प्रबंधक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी संकल्प में सच या संबंधित नहीं है।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारक
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

प्रिय शेयरधारक,

निदेशक मंडल की तरफ से, मुझे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन तथा लेखा के अवलोकन हेतु कंपनी के कार्य पर 70वां वार्षिक प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी है।

2. कार्य-संपादन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एच. सी. एल. के कर्मचारियों को वी आर एस / वी एस एस की पेशकश करते हुए कंपनी अधिनियम 1956/2013, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आदि के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए 28.09.2016, अन्य बातों के साथ अपनी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुआवजे के भुगतान कर 31.01.2017 को कार्य से मुक्त कर दिया गया था।

जैसा कि चीजें आज भी हैं, कंपनी की भूमिका में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण ने कंपनी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के तहत कंपनी को बंद करने की अनुमति दी है।

वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है तथा एच सी एल जैसा कि परिसमापन/समापन के लिए निर्देश दिया गया है के औपचारिकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड अब बंद हो गया है और एक गैर-परिचालित अवस्था में है साथ में कोई संयंत्र, मशीनरी या कर्मचारी या आउटसोर्स अधिकारी नहीं है।



3. वित्तीय परिणाम

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने रु. 88.38 करोड़ का मुनाफा किया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के परिणाम की स्थिति का सार नीचे दिये गये हैं :

(रु. लाख में)

		2021-22	2020-21
(क)	कुल राजस्व	333.51	390.16
(ख)	घटाएं : कुल व्यय	1413.16	386.98
(ग)	लाभ (हानि) असाधारण मद एवं कर पूर्व :	(1079.64)	3.18
(घ)	असाधारण मदें	9918.48	26952.89
(ङ)	वर्ष के लिए लाभ(हानि)	8838.84	26956.07

4. शेयर पूंजी

कंपनी का अधिकृत पूंजी रु. 6000 करोड़ है। 31.03.2022 तक अभिदत्त तथा चुकता पूंजी रु. 10 प्रति के 4865881125 इक्विटी शेयर में से विभाजित कर रु. 4865.88 करोड़ पर पहुंच गया है।

5. उधारी

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने कोई उधार नहीं लिये हैं।

6. राष्ट्रीय कोष को अंशदान

ठेकेदार तथा परामर्श सेवाओं पर आयकर, टी डी एस, जी एस टी आदि के माध्यम से कंपनी का राष्ट्रीय कोष के लिए अंशदान कुल मिलाकर रु. 0.55 करोड़ है।

7. मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी अधिनियम 1956/2013, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अन्य प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए दिनांक 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के संबंध में, कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को एच सी एल, नैनी यूनिट के 125 कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्होंने वी आर एस आवेदन नहीं किया था (जिन्हें एच.ए.एल की एक अनुषंगी एन.ए.ई.एल को स्थानांतरित कर दिया गया) तथा कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को उनके वी. आर. आवेदन को स्वीकार कर 31.01.2017 को कार्य मुक्त कर दिया गया है।

8. धारित भूमि की स्थिति

कंपनी के पास रूपनारायणपुर, जिला पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल में 947.23 एकड़ जमीन है। 2021-22 के दौरान, कंपनी ने एमएचआई के निर्देश के तहत, राजस्व प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क किया और उसके पास मौजूद भूमि का रिकॉर्ड प्राप्त किया। राजस्व प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 935.70 एकड़ भूमि कंपनी के पक्ष में दर्ज है। कंपनी के पास बारामुरी मौजा में 11.53 एकड़ जमीन की कमी है। कंपनी ने राजस्व प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल सरकार से बारामुरी मौजा में अतिरिक्त 11.53 एकड़ भूमि को कंपनी के नाम दर्ज करने का अनुरोध किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार के दो शैक्षणिक संस्थानों (आई टी सी और एन सी पी) के खिलाफ बारामुरी मौजा, रूपनारायणपुर में 8.85 एकड़ भूमि के लिए पक्ष में आर ओ आर के सुधार के लिए कंपनी की भूमि सुधार और किरायेदारी न्यायाधिकरण (एल आर टी टी), कोलकाता के पास लंबित है। इस संबंध में, कंपनी ने भी आसनसोल जिला न्यायालय के समक्ष टाइटल सूट फाइल किया है। बारामुरी मौजा में 0.39 एकड़ के एक छोटे से पार्सल के लिए, स्वामित्व रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर पहचान के लिए स्थानीय भू-राजस्व कार्यालय द्वारा म्यूटेशन को रोक दिया गया है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हैदराबाद में कंपनी द्वारा धारित 324 एकड़ 35 गुंटा भूमि के संबंध में, तेलंगाना सरकार ने संपत्ति के मालिकाना हक का दावा किया और जुलाई, 2018 के दौरान बहाली का आदेश दिया। कंपनी ने हैदराबाद उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त किया और यह अब विचाराधीन है।

9. निदेशकों के दायित्व पर बयान

कंपनी के निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

- (i) यह कि वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करते हुए प्रयुक्त खातालेखन मानदण्डों का प्रयोग किया गया है तथा कोई सामग्रिक फेर बदल नहीं की गयी है।
- (ii) यह कि चुनिंदा खातालेखन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है तथा निदेशकों ने निर्णय एवं आंकलन इस प्रकार से किए हैं, कि उचित तथा विवेकपूर्ण हो ताकि 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की स्थिति तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की सही एवं स्वच्छ छवि मिल सके।
- (iii) यह कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं से बचाव हेतु पर्याप्त खातों के समुचित एवं पर्याप्त रखरखाव का ख्याल रखा गया है।
- (iv) यह कि वार्षिक खातों को कंपनी को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के मद्देनजर एक चालू संस्थान के अनुसार ऐतिहासिक समझौता के अधीन तैयार नहीं किये गये।

10. लेखा परीक्षा समिति

21.03.2022 को आयोजित 358वीं बैठक में निदेशक मंडल ने एक लेखा परीक्षा समिति का पुनः गठन किया, जिसमें श्री मदनपाल सिंह, अध्यक्ष के रूप में, लेखा परीक्षा समिति, श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य के रूप में, लेखा परीक्षा समिति और श्री के. मोहन, सदस्य, लेखा परीक्षा समिति के रूप में सम्मिलित हैं। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें समय-समय पर आंतरिक नियंत्रण के बारे में अंकेक्षक के साथ समीक्षा और चर्चा करने लेखा की गुंजाइश और अंकेक्षक की टिप्पणियों, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा और बोर्ड द्वारा संदर्भित कोई भी मामला के लिए होती हैं।

11. निदेशक मंडल

श्री के.मोहन, निदेशक (कार्मिक), एण्डू यूल एण्ड कं. लिमिटेड (ए वाई सी एल) को भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 1 (15) / 2016-पीई-II, दिनांक 29.06.2020 के संदर्भ में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 01.07.2020 से सौंपा गया है।

श्रीमती सुषमा बत्रा, उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय (एम एच आई) को एम एच आई आदेश संख्या 1(15)/2001-पीई-II / सी पी एस ई-II (ई-4246) दिनांक 07.09.2022 के तहत श्री सुनील कुमार सिंह, पूर्व निदेशक, एम एच आई के स्थान पर तत्कालीन प्रभाव से हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री सुनील कुमार सिंह, पूर्व निदेशक, एम एच आई द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए इनकी सराहना करता है।

श्री विवेक नारायण, डीडीजी (डीएस), दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय को एम एच आई आदेश सं. 1(15)/ 2001-पीई-II/सीपीएसई-II (ई-4246) दिनांक 19.05.2022 के तहत श्री सुनील कुमार सिंघल, पूर्व डीडीजी (डीएस) के स्थान पर तत्काल प्रभाव से हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

निदेशक मंडल, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में श्री सुनील कुमार सिंघल, पूर्व डीडीजी (डीएस) द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए इनकी सराहना करता है।



बोर्ड सूचना और एजेंडा पत्रों के संचालन के बारे में पहले बैठक करता है। बैठकें रणनीति निर्माण, नीति और नियंत्रण, प्रदर्शन की समीक्षा और वैधानिक रूप से आवश्यक मामलों पर विचार करने पर केंद्रित होती हैं।

12. लेखापरीक्षक

वर्ष 2021-22 हेतु, मेसर्स जी बासू एण्ड कंपनी (सी ए 0003) सनदी लेखाकार को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एवं ए जी) द्वारा नियुक्त किया गया।

13. लेखा परीक्षण समीक्षा

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ, सदस्यों को सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन एवं टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब संलग्नित हैं।

14. शेयरों पर सूचनाएं

शेयर हस्तांतरण का स्थान लेने वाले भारत के राष्ट्रपति के नामितों में से हैं। 31 मार्च, 2021 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	4865881125	100.00
	कुल	4865881125	100.00

28.09.2016 को आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एच सी एल को बंद करने के अनुमोदन के संदर्भ में, कंपनी ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई) से शेयरों को हटाने के लिए आवेदन किया क्योंकि 100% शेयर भारत के राष्ट्रपति के पास थे। सीएसई ने कंपनी को सूची से हटा दिया है। अन्य दो स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी सूचीबद्ध थी जैसे अहमदाबाद और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो निष्क्रिय हो गए। चूंकि मार्केट में कोई फ्लोटिंग शेयर नहीं था, कंपनी व्यावहारिक रूप से एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी बन गई। कंपनी द्वारा किए गए एक आवेदन के आधार पर, एम सी ए ने कंपनी के सी आई एन को सूचीबद्ध से असूचीबद्ध में बदल दिया है।

विगत 3 वार्षिक आम बैठक 24.12.2019, 31.12.2020 एवं 21.12.2021 को कोलकाता में आयोजित हुये थे।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

15. आभार ज्ञापन

कंपनी का निदेशक मण्डल, भारी उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं अन्य भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार तथा आंध्र प्रदेश के मंत्रालय से प्राप्त समर्थन, निर्देश एवं सहायता हेतु आभारी है। निदेशकगण भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक तथा वाणिज्यिक लेखा-परीक्षण के प्रमुख निदेशक के कार्यालयों द्वारा सहयोगिता एवं समर्थन हेतु उनको भी धन्यवाद देते हैं।

इस अवसर पर निदेशकगण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में कंपनी के अनुबद्धित कार्यकर्ताओं के सहयोगिता एवं योगदान हेतु सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल
के लिए तथा उनकी ओर से

पंजीकृत कार्यालय
1/315, गरियाहाट रोड
(जोधपुर पार्क)
कोलकाता 700 068
दिनांक : 03.11.2022

(के. मोहन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) के अनुपालन स्वरूप तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9, सचिवीय लेखा-परीक्षण पर निर्देशीय टिप्पणी के साथ माना जाए)

इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया का (रीलीज 1.2)

सेवा में

सदस्यगण

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

1/315 , गरियाहाट रोड (जोधपुर पार्क)

कोलकाता-700068, पश्चिम बंगाल

1. मैंने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1/315, गरियाहाट रोड, (जोधपुर पार्क) कोलकाता-700068 पश्चिम बंगाल में स्थित है का 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष (जिसे इसके बाद 'समीक्षाधीन वर्ष' कहा जाएगा) के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षण किया है, जिनके पास सी आई एन एल 31300 डब्ल्यू बी 1952 जी ओ आई 020560 है (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा)। उक्त सचिवीय लेखा-परीक्षण को (रीलीज 1.2) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) के अनुपालन स्वरूप तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) अधिनियम, 2014 के नियम 9, सचिवीय लेखा-परीक्षण पर निर्देशीय टिप्पणी के अनुसार किया गया, जिससे मुझे इनके द्वारा नैगम आचार एवं विभिन्न संविधानों, अधिनियमों, दिशानिर्देशों के तहत सांविधिक अनुपालनों के आंकलन करने का यथेष्ट आधार उपलब्ध कराया है, जिससे मैं निम्नलिखित तरीके से इस प्रतिवेदन में अपना मत व्यक्त करता हूँ।
2. सचिवीय अनुपालन के आधार पर तथा कंपनी के बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म एवं भरे हुए रिटर्नों तथा कम्पनी द्वारा रखे गये अन्य रिकॉर्डों, जो मुझे दिखाए गये, उपरोक्त लेखा-परीक्षण के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों की सूचनाओं के आधार पर, मैं प्रतिवेदित करता हूँ कि मेरे मत में कंपनी ने लेखा-परीक्षा के दौरान जो कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि में सांविधिक प्रावधानों का, निम्नलिखित बोर्ड की विधियों एवं अनुपालन की प्रणाली के कुछ अपवादों के अलावा, अनुपालन किया है तथा कंपनी ने निम्नलिखित तरीके एवं विषय के अनुसार पर्याप्त बोर्ड की विधि एवं अनुपालन की प्रणाली को प्रारम्भ नहीं किया है।
3. मैंने सचिवीय अनुपालन प्रतिवेदन का परीक्षण हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान तक रखी गई तथा लेखा-परीक्षण के दौरान मुझे उपलब्ध कराई गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्मों एवं रिटर्नों के आधार पर किया है, जिन्हें निम्नलिखित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार रखा गया था :
 - (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं इसके तहत बनाये गये नियम;

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

- (ii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं इसके तहत बनाये गये विनियमन एवं कानून:
- (iii) सिक्क्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी अधिनियम) के अधीन निर्धारित विनियमन एवं दिशा-निर्देश जैसे - सिक्क्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (आंतरिक व्यापार प्रतिबंध) अधिनियम, 1992; और कम्पनी पर लागू अन्य सामान्य उपयोग नियम।
4. मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा शेयर को हटाने के संबंध में कंपनी को संबोधित कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किये गये जानकारी एवं दस्तावेजों के आधार पर मेरा अवलोकन है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सेबी अधिनियम, 1992 के तहत कंपनी को अनुपालन लिस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। आगे प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया कि पत्र दिनांक 28.09.2016 के तहत केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कंपनी के बंद/समेटने के लिए इसका अनुमोदन पहले ही दे दिये हैं। आगे प्रबंधन द्वारा सूचित किया जाता है कि एच सी एल दिनांक 31.01.17 से कम्पनी से अपने सभी कर्मचारियों को मुक्त कर दिया है तथा आगे कंपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार परिसमापन/समापन की औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है।
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार परिसमापन/समापन की औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार कंपनी के शेयर को हटाया गया है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज आज की तारीख तक गैर-कार्यात्मक बना हुआ है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण को ध्यान रखते हुए मैंने अवलोकन किया है कि कंपनी समीक्षा के अधीन अवधि हेतु आवश्यक सूचीबद्ध अनुपालनों के अनुपालन के लिए अपेक्षित नहीं है।
6. इसके आगे हम प्रतिवेदन करते हैं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार :
- (क) कंपनी के निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशक समुचित संतुलन से विधिवत गठित नहीं किया गया है। समीक्षा के अधीन अवधि के दौरान श्री कोठेनाथ मोहन (डी आई एन : 08385809) को दिनांक 01.07.2020 को कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
- (ख) बोर्ड की बैठकों के आयोजन के बारे में सभी निदेशकों को उचित सूचना दी जाती है। एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत द्रष्टव्य पहले ही भेजे गये थे तथा बैठक के पूर्व एजेंडा मदों पर आगे की सूचना एवं स्पष्टीकरण को पाने तथा प्राप्त करने हेतु तथा बैठक की अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। आगे बोर्ड बैठक के प्रक्रिया अवलोकन के अधीन वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई।



- (ग) बहुमत का निर्णय माना जाता है तथा कार्यवृत्त में रिकार्ड किया गया है।
7. कम्पनी के प्रबंधन द्वारा मेरे समक्ष यह तथ्य रखा गया कि कम्पनी पर सामान्यतया लागू कानूनों के अनुपालन के प्रतिवेदन को बोर्ड के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है तथा कंपनी में, इसके कार्य के आकार के अनुसार निदेशक मण्डल को प्रतिवेदित करने तथा व्यवसाय के उपयोग क्षेत्रों एवं कंपनी पर सामान्यतया लागू कानूनों के अनुपालन एवं निगरानी हेतु उचित प्रणाली एवं विधि उपस्थित है।
8. इसके अलावा मेरा प्रतिवेदन है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के विषय में निम्नलिखित तथ्य मेरे समक्ष आये हैं :-
- (i) यह कि मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानानुसार, कंपनियों द्वारा नियोजन के लिए यथा अपेक्षित कंपनी सचिव के वरीय 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक' तथा/या मुख्य वित्तीय अधिकारी को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) के अधीन, दिनांक 28.09.2016, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (के एम पी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई बंद की मंजूरी के संबंध में विभिन्न स्थानों और प्रतिष्ठानों से गैर-कार्यात्मक और गैर-परिचालन स्थिति और सभी कर्मचारियों/परामर्शदाताओं/कार्यकर्ताओं की रिहाई के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अधीन दि कंपनी एप्वाइंटमेंट एण्ड रिम्युनेरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल चैप्टर XIII के नियम 8 के प्रावधान के अधीन जांच के तहत अवधि के दौरान कंपनी द्वारा नियुक्त नहीं किये गये। आगे जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है उक्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को नियुक्त नहीं किया गया है चूंकि कंपनी गैर-कार्यात्मक तथा गैर-परिचालनगत बना हुआ है। आगे जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी गैर-कार्यात्मक तथा गैर-परिचालनगत बनी हुई है।
- (ii) यह कि मेरे समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की अनुसूची iv के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन संबंधी कोई प्रतिवेदन या कार्यवृत्त या कागजात नहीं आया है। हालांकि, यह कंपनी के प्रबंधन द्वारा मुझे प्रतिनिधित्व किया गया है जो भारी उद्योग मंत्रालय तथा सार्वजनिक उद्यम, भारी उद्योग विभाग, सामान्यतः बोर्ड के सभी निदेशक की नियुक्ति करता है तथापि स्वतंत्र निदेशक की क्षमता में ऐसा कोई निदेशक समीक्षाधीन अवधि के दौरान नियुक्त नहीं किये गये।
- (iii) यह कि मेरे समक्ष निदेशक कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में कोई रिपोर्ट या कार्यवृत्त या कोई अन्य कागजात नहीं आया है चूंकि कंपनी समीक्षाधीन अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।
- (iv) चूंकि कंपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा निर्देशित परिसमापन/समापन के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है, आंतरिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के प्रावधान के अनुसार नियुक्त नहीं किये गये हैं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

- (v). पत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 27.07.2017 से अपने स्टॉक एक्सचेंज से शेयरों को हटा दिये हैं तथा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज तथा अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज आज की तारीख में गैर-कार्यात्मक बना हुआ है। आगे जैसा कि प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई है कि बाजार में उपलब्ध शेयर चलायमान नहीं है तथा भारत सरकार का प्रतिनिधत्व करते हुए भारत के राष्ट्रपति आज की तारीख तक कंपनी में 100% हिस्सेदारी रखे हैं।
- (VI) आज की तारीख में कंपनी अभी तक कार्यशील गैर-संगत है।
9. इस प्रतिवेदन को इसी तिथिनुसार के मेरे पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे अनुलग्नक क के तौर पर संलग्नित किया गया है जो कि इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है।

राजकिशोर राम

पेशेवर कंपनी सचिव

सदस्यता सं. A22447, सी. पी. सं. : 16589

यूडीआईएन : A022447D001362500

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 26 अक्टूबर, 2022



‘अनुलग्नक - क’

(31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन)

सेवा में,

सदस्यगण

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

1/315, गरियहाट रोड

कोलकाता-700068, पश्चिम बंगाल

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त तिथि पर मेरा सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेख के रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। मेरा दायित्व है कि कंपनी के आकार के अनुसार बोर्ड की विधि तथा अनुपाल प्रबंधन प्रणाली के पर्याप्त होने के बारे में, उक्त लेखा-परीक्षण के दौरान मुझे उपलब्ध कराए गये सचिवीय रिकॉर्डों एवं अधिकारियों तथा कंपनियों के एजेंटों द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर अपना मत अभिव्यक्त करूँ।
2. मैंने अपनी जानकारी में यथा-उपयुक्त लेखा-परीक्षण विधि का प्रयोग किया है, जिससे सचिवीय रिकॉर्डों की शुद्धता के बारे में पर्याप्त आश्वासन एवं सटीकता प्राप्त कर सकूँ। इनका सत्यापन परीक्षण स्तर पर किया गया है ताकि इस बात की जाँच हो सके कि सचिवीय रिकॉर्डों में सही तथ्य प्रदर्शित हैं। मेरा मत है कि मेरे द्वारा अनुपालित विधि एवं प्रणाली मेरे मत के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है।
3. मैंने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय रिकॉर्डों, खाता-बहियों एवं कम्पनी के बोर्ड एवं विभिन्न समितियों द्वारा लिए गये निर्णयों की सत्यता, उपयुक्तता एवं आधार की जाँच नहीं की है। मैंने बोर्ड की विधि एवं अनुपालन की विधि की जाँच की है ताकि मैं इस बारे में अपना मत बना सकूँ कि उपरोक्त प्रतिवेदन में सर्दभित कंपनी अधिनियम 2013 तथा अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के प्रावधानों के अनुसार क्या बोर्ड की समितियाँ, कंपनी के सदस्यों एवं अन्य प्राधिकरणों से अनुमोदन लेने हेतु पर्याप्त विधि स्थापित है कि नहीं।
4. आवश्यकतानुसार, मैंने प्रभावी कानूनों, नियमों एवं अधिनियमों आदि के अनुपालन के विषय में प्रबंधन के मत प्राप्त किये हैं। पर प्रबंधन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि यह कम्पनी एस आई सी ए, 1985 की धारा (3) की उप-धारा (1) के अनुच्छेद ‘ओ’ के तहत एक बिमार औद्योगिक कंपनी बन गई है तथा यह कम्पनी बोर्ड ऑफ इण्डस्ट्रियल रीकांस्ट्रक्शन (बी आई एफ आर) के तहत सन 2002 में केस सं. 505/2002 द्वारा पंजीकृत है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.09.2016 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी को बंद करने की स्वीकृति प्रदान की है। आगे जैसा कि प्रबंधन को सूचित किया गया है कि बाजार में कंपनी का कोई फ्लोटिंग शेयर उपलब्ध नहीं था तथा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज तथा अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज गैर-कार्यात्मक बना हुआ है तथा इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ आवधिक अनुपालन 31.03.2022 को समाप्त अवधि हेतु अपेक्षित नहीं है। आगे जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है बाजार में उपलब्ध शेयर चलायमान नहीं है तथा भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के राष्ट्रपति आज की तारीख तक कंपनी में 100% शेयर रखे हैं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

5. नैगम एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों अधिनियमों, मानदण्डों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। मेरा परीक्षण केवल अनुपालन विधियों के सत्यापन तक ही सीमित रहा है।
6. सचिवीय लेखा-परीक्षण ना तो कंपनी के भविष्य में सफल होने का आश्वासन है, ना ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के प्रचालन की दक्षता या प्रभावकारिता का आश्वासन है।

राजकिशोर राम

पेशेवर कंपनी सचिव

ए सी एस सं. 22447, सी पी सं. 16589

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 26 अक्टूबर, 2022



फॉर्म सं. एमजीटी 9
वार्षिक रिटर्न के सार
31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा
कंपनी (प्रबंधन एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण	
1	सी आई एन एल 31300 डब्ल्यू बी 1952 जी ओ आई 020560
2	पंजीकरण तिथि 8/4/1952
3	कंपनी का नाम हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
4	कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी शेयरों द्वारा कम्पनी लिमिटेड
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण 1/315, गरियाहाट रोड, कोलकाता-700 068, पश्चिम बंगाल ईमेल : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड से हटाया गया है तथा अहमदाबाद और दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है जो अभी हटाया जाना है
7	रजिस्ट्रार, ट्रान्सफर एजेंट, यदि कोई हो तो, का नाम पता एवं संपर्क विवरण लागू नहीं

II कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10% या उससे उससे अधिक का अंशदान करने वाली सभी व्यवसाय गतिविधियाँ उल्लेखित हों

क्र. सं.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पादों/सेवाओं के एन आई सी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	जेली फिल्ड केबल	16 वर्षों से कोई उत्पादन नहीं	लागू नहीं
2.	ड्राई कोर केबल		लागू नहीं
3.	फाईबर ऑप्टिक केबल		लागू नहीं

III कंपनी की धारक, आनुषांगिक एवं सहयोगी कंपनियाँ

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं पता	सी आई एन/जी एल एन	धारक/आनुषांगिक/सहयोगी	शेयरधारण %	लागू धारा
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iv) शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर कैपिटल विवरण)

i) श्रेणीवार शेयरधारित

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या 01.04.2021				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या 01.04.2022				वर्ष भर में बदलाव%
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) प्रमोटर गण									
1. भारतीय									
(क) व्यक्तिगत / एच यू एफ			-	0.00%				0.00%	0.00%
ख) केंद्र/राज्य सरकार		4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%		4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	0.00%
ग) निर्गमित निकाय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
घ) बैंक/एफआई			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ड) कोई अन्य			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
उप कुल : (क) (1)		4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%		4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	0.00%
2. विदेशी									
क) प्रवासी भारतीय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ख) अन्य व्यक्ति			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ग) निर्गमित निकाय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
घ) बैंक/एफआई			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ड) कोई अन्य			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
उप कुल (क) (2)			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
कुल (क)		4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%		4,865,881,125	4,865,881,125	100.00%	0.00%
ख. सार्वजनिक									
(1) संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ख) बैंक/एफआई			-	0.00%			-	0.00%	0.00%



शेयरधारक श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या 01.04.2021			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या 01.04.2022				वर्ष भर में बदलाव %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	
ग) केंद्र सरकार			-	0.00%			-	0.00%
घ) राज्य सरकार			-	0.00%			-	0.00%
ङ) बैंकर कैपिटल फंड			-	0.00%			-	0.00%
च) इन्वेंचर्स कंपनियाँ			-	0.00%			-	0.00%
छ) एफआईआईएल			-	0.00%			-	0.00%
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड			-	0.00%			-	0.00%
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-	0.00%			-	0.00%
उप कुल (ख) (1) :			-	0.00%			-	0.00%
2 गैर-संस्थाएं								
क) निकाय निगमित								
i) भारतीय			-	0.00%			-	0.00%
ii) विदेशी			-	0.00%			-	0.00%
ख) व्यक्तिगत			-	0.00%			-	0.00%
i) व्यक्तिगत शेयरधारक रु. 1 लाख तक की कम शेयर पूंजी रखने वाले			-	0.00%			-	0.00%
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक रु. 1 लाख से अधिक की शेयर पूंजी रखने वाले			-	0.00%			-	0.00%
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)			-	0.00%			-	0.00%
गैर आवासीय भारतीय			-	0.00%			-	0.00%
विदेशी निगमित निकाय			-	0.00%			-	0.00%
विदेशी नागरिक								
क्लिबिंगि मेम्बर्स			-	0.00%			-	0.00%
ट्रस्ट्स			-	0.00%			-	0.00%
विदेशी निकाय-डी आर			-	0.00%			-	0.00%
उप कुल (ख) (2) :			-	0.00%			-	0.00%
कुल सार्वजनिक (ख)			-	0.00%			-	0.00%
ग. जी डी आर एवं ए डी आर के अभिभावकों की शेयरधारिता			-	0.00%			-	0.00%
कुल योग (क + ख + ग)	-	4,865,881,125	4,865,881,125	100%	0-	4,865,881,125	4,865,881,125	100%

(ii) प्रमोटरों का शेयरधारण पैटर्न

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष भर में शेयरधारण में बदलाव का %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/भारप्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/भारप्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	4,865,880,625	100.00%	0		100.00%	0	100.00%
2.	श्री के. मोहन, सी एम डी, एच सी एल	100					0	0.00%
3.	सुश्री सुजाता शर्मा, वरि. आर्थिक सलाहकार	100					0	0.00%
4.	श्री मदन पाल सिंह, संयु. सचिव, डी एच आई	50					0	0.00%
5.	श्री कमोल देव प्रसाद, यू एस, डी एच आई	100					0	0.00%
6.	श्री सुनील कुमार सिंह, निदेशक	100					0	0.00%
7.	श्रीमती परवीन गुप्ता	50					0	0.00%
	कुल	4,865,880,625	100.00%				0	0.00%
1.	भारत के राष्ट्रपति				4,86,58,80,625	99.99%	0	0.00%
2.	श्री के. मोहन, सी एम डी, एच सी एल				100		0	0.00%
3.	सुश्री सुजाता शर्मा वरि. आर्थिक सलाहकार				100		0	0.00%
4.	श्री मदन पाल सिंह, संयु. निदेशक, डी एच आई				50		0	0.00%
5.	श्री कमल देव प्रसाद, यू एस, डी एच आई				100		0	0.00%
6.	श्री सुनील कुमार सिंह, निदेशक				100		0	0.00%
7.	श्रीमती परवीन गुप्ता				50		0	0.00%
	कुल				4,865,881,125	100%	0	0.00%



(iii) प्रमोटर्स का शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि अपरिवर्तित हो, तो विनिर्दिष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	कारण		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारक	
			शेयर संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर संख्या	कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में		4,865,881,125	100.00%			4,865,881,125	100.00%
	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ			0.00%				0.00%
	वर्ष के अंत में		4,865,881,125	100.00%			4,865,881,125	100.00%

(iv) सर्वाधिक दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पेटर्न
(निर्देशकों, प्रमोटर्स तथा जी डी आर व ए डी आर धारकों के अलावा अन्य)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	कारण		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
			शेयर संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर संख्या	कुल शेयरों का %
1	प्रत्येक सर्वाधिक 10 शेयरधारकों के लिए नाम							
	वर्ष के प्रारंभ में		लागू नहीं	0.00%			लागू नहीं	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन		लागू नहीं	0.00%			लागू नहीं	0.00%
	वर्ष के अंत में		लागू नहीं	0.00%			लागू नहीं	0.00%
2.	नाम							
	वर्ष के प्रारंभ में		लागू नहीं	0.00%			लागू नहीं	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन		लागू नहीं	0.00%			लागू नहीं	0.00%
	वर्ष के अंत में		लागू नहीं	0.00%			लागू नहीं	0.00%

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	दिनांक	कारण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारक	
				शेयर संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर संख्या	कुल शेयरों का %
1.	श्री के. मोहन, सी एम डी, एच सी एल वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में			100	0.00%	-	0.00%
				शून्य	0.00%	-	0.00%
2.	सुश्री सुजाता शर्मा, वरिष्ठ वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में			100	0.00%		0.00%
				शून्य	0.00%		0.00%
3.	श्री मदन पाल वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में			50	0.00%		0.00%
				-			0.00%
				शून्य	0.00%		0.00%
4.	श्री कमल देव वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में			100	0.00%		0.00%
				-			0.00%
				शून्य	0.00%		0.00%
5.	श्री सुनील कुमार वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में			100	0		
				-			
6.	श्रीमती प्रवीन वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में			50	0.00%		0.00%
				-			0.00%
				शून्य			0.00%



(v) उधारी

(रकम. रु./लाख)

बकाया ब्याज/उपार्जित ऋण सम्मिलित कंपनी की उधारी किन्तु भुगतान के लिए देय नहीं				
विवरण	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल उधारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उधारी				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज बकाया पर भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अर्जित ब्याज किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान उधारी में परिवर्तन				
योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घटाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में उधारी				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज बकाया पर भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अर्जित ब्याज किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(vi) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध नि./पूर्णकालिक नि./प्रबंधक का नाम	कुल रकम
		नाम : कोठेनाथ मोहन	(रु./लाख)
		पद : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य शून्य
1.	कुल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	शून्य	शून्य
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	शून्य	शून्य
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक का विकल्प	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य
4.	छूट	शून्य	शून्य
	लाभ का प्रतिशत	शून्य	शून्य
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य
5.	अन्य विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य
	कुल (क)	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम	शून्य	शून्य



ख . अन्य निदेशकों को दिये गये पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम			कुल रकम (रु./लाख)
1.	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बोर्ड की बैठक में प्रतिभागिता की फीस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	छूट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बोर्ड की बैठक में प्रतिभागिता की फीस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	छूट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल = ख (1+2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(ग) एम डी/प्रबंधक/डब्ल्यू टी डी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख पारिश्रमिक कार्मिक			कुल रकम (₹./लाख)
		नाम पद	सी ई ओ	सी एफ ओ	
1.	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार वेतन				लागू नहीं
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य				लागू नहीं
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ				लागू नहीं
2.	स्टॉक का विकल्प				लागू नहीं
3.	उद्यम इक्विटी				लागू नहीं
4.	छूट				लागू नहीं
	लाभ का प्रतिशत				लागू नहीं
	अन्य विनिर्दिष्ट करें				लागू नहीं
5.	अन्य विनिर्दिष्ट करें				लागू नहीं
	कुल				लागू नहीं

(vii) अपराधों के लिए जुर्माना/दण्ड/समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना/दण्ड/ समझौता की फीस	प्राधिकरण (आर डी/एन सी एल टी) / अदालत	की गई अपील यदि कोई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दण्ड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समझौता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दण्ड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समझौता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दण्ड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समझौता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार निर्दिष्ट संरचना के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अनुसार भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक, धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर, अधिनियम की धारा 143 (10) के अनुसार निर्दिष्ट खाता-परीक्षण के मानदण्डों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा-परीक्षण के आधार पर अपना मत प्रकाशित करने के उत्तरदायी होंगे। यह बताया गया है कि उनके संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 23 सितंबर, 2022 के तहत उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के पक्ष से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण स्वतंत्रतापूर्वक, लेखा-परीक्षकों के कागजातों की सहायता लिए बिना किया गया तथा यह प्राथमिक स्तर पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ तक ही सीमित था तथा साथ ही कुछ खाता-रिकॉर्डों का चुनिंदा परीक्षण किया गया।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, कोई महत्वपूर्ण मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या पूरक को बढ़ावा दे।

कृते - भारत के लेखा नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

(सुपर्णा देब)

महानिदेशक लेखा (माइंस)

कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 07.12.2022

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एच सी एल)
वैधानिक लेखा परीक्षक (ड्राफ्ट) के अवलोकन के लिए कंपनी की व्याख्या

क्र.सं.	सांविधिक लेखा-परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन के जवाब (ड्राफ्ट)
क	<p>हासिल मूल्य के संदर्भ में ऐतिहासिक लागत पर रखी गई संपत्ति के साथ चालू प्रतिष्ठान की अवधारणा से प्रस्थान में वित्तीय विवरणों को परिसमापन अवधारणा पर तैयार करने का दावा किया जाता है, जो कि हमारी राय में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में आत्म-विरोधाभासी है, जो वसूली योग्य मूल्य का आधार लेखाकरण हेतु प्रमुख संपत्ति मांग का गठन करता है ताकि परिसमापन अवधारणा के तहत वास्तव में वित्तीय विवरण को प्रस्तुति प्रस्तुत की जा सके। इस संबंध में हमारी राय संशोधित है।</p> <p>प्रासंगिक अभिकथनों और लेखांकन नीति में परिवर्तन के अलावा पिछले वर्ष की तुलना में लेखांकन व्यवहार में बिना किसी बदलाव के, कॉस्मेटिक या प्रमुख बने हुए हैं, जहाँ कंपनी ने चालू प्रतिष्ठान अवधारणा के पालन की पुष्टि की।</p>	<p>केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.09.2016 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ एच सी एल को बंद करने तथा सभी कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस की पेशकश कर और सभी संपत्तियों का निपटान करने मंजूरी दी। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को 31.01.2017 को कार्यमुक्त कर दिया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुरूप संयंत्र और मशीनरी का निपटान कर दिया गया। उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण ने 31.05.2017 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के तहत एच सी एल को बंद करने की अनुमति प्रदान की है। . एच सी एल अब बंद है और बिना किसी संयंत्र, मशीनरी, कर्मचारी के गैर-परिचालन चरण में है।</p> <p>नतीजतन, बोर्ड द्वारा अपनी 360वीं बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार, परिसमापन अवधारणा पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है। वैधानिक अनुपालन की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, अगले वित्तीय वर्ष में वसूली योग्य मूल्य पर पीपीई का मूल्यांकन किया जाएगा। नोट नं. 32, को संदर्भित किया जा सकता है।</p>
ख	<p>कंपनी की 99,23,71,801.35 रुपये की देनदारी वापस लिखी गई थी, जिसमें संबंधित लेनदार के साथ किसी भी समझौते के बिना एकतरफा कार्रवाई पर आधारित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) से 24,04,45,742.00 रुपये तक का अग्रिम शामिल है।</p>	<p>कंपनी को मैसर्स फॉक्स एंड मंडल, सॉलिसिटर और एडवोकेट, कोलकाता से कानूनी राय प्राप्त हुई है, जिसमें संक्षेप में कहा गया है कि बी आई एफ आर को भंग करने के 3 साल बाद लेनदारों के दावे की वैधता नहीं होगी (यदि, इसके लिए कोई अदालती मामला नहीं है))</p> <p>कंपनी ने आखिरी बार एमटीएनएल की देनदारी की पुष्टि अपने पत्र दिनांक 07.05.2018 के जरिए की थी। एमटीएनएल के लिए देयता की दावा वैधता अवधि सीमा अधिनियम 1963 के अनुसार अंतिम देयता पावती तिथि अर्थात् 07.05.2018 से तीन वर्ष 07.05.2021 को समाप्त हो गई। इसके अलावा, कंपनी ने दावा वैधता अवधि यानी 07.05.2021 को समाप्त होने से पहले देयता की कोई नई पावती नहीं दी। कंपनी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे समय-बाधित समाप्त देयता को पुनर्जीवित किया जा सके। एमटीएनएल के पास भी कोई अदालती मामला लंबित नहीं है। इसलिए, संपूर्ण एमटीएनएल देयता 07.05.2021 तक अर्थात् देयता की अंतिम पावती की तारीख से तीन वर्ष तक पुरानी और समय बाधित हो गई है। विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, कंपनी द्वारा 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अपने तुलन पत्र में एमटीएनएल के बकाये को स्वीकार नहीं करना उचित समझा गया है और इसलिए इसे वापस लिखना उचित समझा गया है।</p>



<p>वेतन और मजदूरी की देनदारी बट्टे खाते तक पहुंच गया है जो रु. 65,54,548.00 है और केंद्र सरकार से 1,14,48,805/- रुपये की रसीद अवैतनिक पड़ी हुई जो वीआरएस के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि वापस लिखे जाने के कारण अवैतनिक है। जिस बकाया वेतन एवं मजदूरी की राशि प्राप्त हुई थी उसका भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों के अभाव में हम वापस लिखे जाने की सत्यता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>बकाया वेतन एवं मजदूरी रु. 65,54,548/- की देनदारी:- यह आंकड़ा रूपनारायणपुर इकाई में वेतनमान संशोधन बकाया के भुगतान से संबंधित है। डी एच आई के आदेश और ट्रेड यूनियनों के साथ वेतन संशोधन समझौते के अनुसार, वेतन संशोधन बकाया का भुगतान कंपनी द्वारा केवल निर्धारित पूर्व शर्तों को पूरा करने पर ही किया जा सकता है। इन पूर्व शर्तों को कंपनी द्वारा पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए कर्मचारी वेतनमान संशोधन बकाया प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन संशोधन के कारण बकाया वेतन/मजदूरी के भुगतान के लिए डी एच आई/जी ओ आई से कंपनी द्वारा कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी वेतनमान संशोधन बकाया के भुगतान के लिए पूर्व शर्तों को पूरा करने में विफल रही, अनजाने में रूपनारायणपुर इकाई में वेतनमान संशोधन बकाया के भुगतान का दायित्व दर्ज कर लिया गया। यह वर्ष के दौरान देखा गया है और इसलिए वापस लिखा गया है।</p> <p>रु.1,14,48,805/- का अवैतनिक वीआरएस:- रूपनारायणपुर इकाई में सेवानिवृत्ति की आयु 58-बनाम-60 वर्ष को लेकर विवाद है। कर्मचारियों की मांग है कि सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल होनी चाहिए। कंपनी ने 2014 में नोटिस देकर सेवानिवृत्ति की उम्र घटाकर 58 साल कर दी थी। इससे व्यथित होकर कर्मचारियों द्वारा कई अदालती मामले दायर किए गए हैं जो अभी भी लंबित हैं। कर्मचारियों ने आगे बढ़कर 60 वर्ष की बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु को देखते हुए अतिरिक्त वीआरएस अनुग्रह राशि का भुगतान करने की मांग की, इस तथ्य के बावजूद कि एचसीएल ने सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 वर्ष कर दी थी। कंपनी ने अपनी नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु के 58 वर्ष के आधार पर वीआरएस देयता का भुगतान किया। यह स्पष्ट किया जाता है कि वीआरएस देयता के भुगतान के लिए निधि डीएचआई/जीओआई द्वारा केवल 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के आधार पर प्रदान की गई थी न कि 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के आधार पर। हालांकि, 2 साल (58#60) के लिए अतिरिक्त वीआरएस देनदारियों को अनजाने में ट्रेड यूनियनों द्वारा 60 साल की सेवानिवृत्ति की आयु की मांग के आधार पर स्थानीय रूपनारायणपुर इकाई प्रबंधन द्वारा खातों में दर्ज किया गया था। इस वर्ष के दौरान इस पर ध्यान दिया गया है और इसलिए वापस लिखा गया है।</p>
<p>ग रु. 5,23,444.34 रुपये की संपत्ति को बट्टे खाते में डाला गया जिसमें एच बी ए अग्रिम राशि के तहत कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम राशि शामिल है। हमारी राय में इस तरह के भौतिक दावे का परित्याग परिसमापन के तहत हितधारकों के लिए प्रतिकूल साबित होता है।</p>	<p>एच बी ए रु. 86680.00 मात्र की सीमा तक है और वही पूर्व कर्मचारियों से रोजगार के अलगाव के समय और टर्मिनल देय राशि के भुगतान के समय वसूल किया गया था। हालांकि, एच सी एल के बंद होने और लेखाकारों के रोजगार के बंद होने के कारण बही समायोजन नहीं किया गया था। एक्यू नंबर 1/फाइनेंस ऑडिट/एचसीएल कोलकाता/2020-21 दिनांक 12/11/2021 में सी ए जी ने इस संपत्ति को बनाए रखने के खिलाफ गंभीर रूप से देखा है। चूंकि आज की तारीख में वास्तव में कुछ भी प्राप्य नहीं है, इसलिए अब इसे बट्टे खाते में डालना उचित समझा गया है।</p>
<p>घ माल/व्यय के लिए देय व्यापार के तहत शेष राशि (प्रावधान/बट्टे खाते को छोड़कर), ग्राहकों से अग्रिम, ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा और अन्य अग्रिमों का मिलान और पुष्टि नहीं की गई है और प्राप्त नहीं की गई है। हमारी राय में वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव इस</p>	<p>व्यापार देय: तुलन-पत्र के अनुसार देय व्यापार में वर्तमान में मुकदमेबाजी के तहत विविध लेनदारों के कारण और चालू वर्ष की निर्विवाद लेखापरीक्षा शुल्क शामिल है। इसलिए, देय व्यापार के तहत शेष राशि का मिलान और पुष्टि आवश्यक नहीं है।</p> <p>ग्राहकों से अग्रिम: कंपनी ने देनदारियों के लिए शेष राशि की पुष्टि नहीं की है क्योंकि शेष राशि की पुष्टि के लिए की गई कोई भी कार्रवाई समाप्त कालबाधित दावे को पुनर्जीवित कर देगी। यह कंपनी पर दायित्व तय करेगा, जिसे कंपनी सीमा के कानून के कारण भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी।</p>

<p>तरह के समाधान और पुष्टि के लंबित होने के कारण पता लगाने योग्य नहीं है। इसके अलावा ब्यौरे का अभाव कालबाधित देयता को निर्धारित करने के रास्ते में आ गया है और यह खातों पर परिणामी प्रभाव है।</p>	<p>ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा: ठेकेदारों से अविवादित प्रतिभूति जमा की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की गई है। एक ठेकेदार से विवादित प्रतिभूति जमा के लिए शेष राशि पुष्टि उक्त इकाई से सूचीबद्ध चल संपत्तियों के निपटान के समय एचसीएल रूपनारायणपुर परिसर के अंदर बिना किसी अधिकार रेलवे लाइन को उखाड़ने और नष्ट करने का ठेकेदार के रूप में प्राप्त नहीं की गई है। एचसीएल ने ठेकेदार की गलती के लिए जमानत राशि जारी नहीं की लेकिन ठेकेदार ने एचसीएल की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया।</p> <p>अन्य अग्रिम राशि : इन आंकड़ों में कंपनी के खिलाफ एक प्रतिकूल आदेश के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश के अनुसार उच्च न्यायालय में किया गया जमा, एचसीएल, रूपनारायणपुर परिसर के उपयोग के लिए बी एस एन एल से प्राप्य किराया, बिजली कनेक्शन के खिलाफ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जमा प्रतिभूति जमा और आयकर पोर्टल (व्यवसाय घाटे को आगे बढ़ाने के कारण) के अनुसार कंपनी के एफडी ब्याज प्रतिदेय पर टी डी एस शामिल हैं। एच सी एल, रूपनारायणपुर परिसर के उपयोग के लिए बी एस एन एल से प्राप्य किराए के लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की गई है। उच्च न्यायालय और राज्य विद्युत बोर्डों से शेष राशि की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>व्यापार प्राप्य: व्यापार प्राप्य के संबंध में वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि संबंधित कर्मचारी जो मामले से निपटते थे, कंपनी के बंद होने के कारण 31.01.2017 को वीआरएस के माध्यम से अलग हो गए थे और अब पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जैसा कि व्यापार प्राप्य के प्रावधान पिछले वर्षों में किए गए थे।</p>
---	---

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक-बी के बिंदु (v) पर प्रबंधन का उत्तर

<p>लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के (सीएआरओ रिपोर्टिंग) अनुलग्नक-बी का क्रमांक (v)</p>	<p>कंपनी के पास अपनी पात्रता से अधिक के लिए जमा है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधान, आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।</p> <p>कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(xii)(ए) के तहत जमाकर्ता की भूमिका निभाने वाले ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के लिए प्रासंगिक जमा जिम्मेदार हैं।</p>	<p>यह 153.92 करोड़ रुपये की शेष आवेदन राशि के संबंध में है, जो भारत सरकार द्वारा 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार कंपनी को बंद करने की दिशा में विभिन्न देनदारियों के निर्वहन के लिए दी गई थी।</p> <p>चूंकि, मुकदमों के तहत असुरक्षित लेनदारों की देनदारियों का अभी तक निर्वहन नहीं किया गया है, जिसके लिए फंड स्वीकृत किया गया था और संपत्ति का निपटान अभी तक नहीं किया गया है, जिसके बाद बिक्री से आय (सभी देनदारियों का भुगतान करने के बाद) डी पी ई दिशानिर्देशों की शर्तों में भारत के समेकित कोष में जमा की जानी है, शेष निधि का सटीक उपयोग और परिणामी इक्विटी में परिवर्तन निर्धारित नहीं किया जा सका। इसलिए, शेष आवेदन धन में रखा गया। इस संबंध में उनके निर्देश के लिए मामले को एम एच आई के साथ उठाया जा सकता है।</p>
---	---	--



स्वतंत्र लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

वित्त वर्ष -2021-22 हेतु स्टैण्डालोन पर वित्तीय विवरण पर प्रतिवेदन

योग्य मत

हमने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (कंपनी) के संलग्नित स्टैण्डालोन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक के वर्ष का तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं हैं। हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे प्रतिवेदन के योग्य मत धारा के आधार पर उल्लेख किये गये मामलों के प्रभावों को छोड़कर, पूर्वोक्त स्टैण्डालोन वित्तीय विवरण जैसा अपेक्षित है उस ढंग में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित जानकारी देता है तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित लेखांकन मानदण्ड के पुष्टि में तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत, मार्च 31, 2021 तक कंपनी की कार्य स्थिति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं इसके नकद प्रवाह की एक सच्ची एवं सही दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य मत के आधार :

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षिक करते हैं कि :

- क) यह दावा किया जाता है कि वित्तीय विवरण को अवलेखित मूल्य के संदर्भ में ऐतिहासिक लागत पर धारित संपत्ति के साथ चालू प्रतिष्ठान अवधारणा से प्रस्थान में परिसमापन अवधारणा से तैयार किया गया है, जो हमारी राय में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में आत्म-विरोधाभासी है, जो वास्तविक मूल्य के आधार पर लेखांकन के लिए प्रमुख संपत्ति माग का गठन करते हैं, ताकि परिसमापन अवधारणा के तहत वित्तीय विवरण की प्रस्तुति को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। इस संबंध में हमारी राय में बदलाव किया गया है।
- प्रासंगिक अभिकथन और लेखा नीति में परिवर्तन के अलावा किसी भी परिवर्तन के बिना रहता है कॉस्मेटिक या प्रमुख, पिछले वर्ष की तुलना में लेखांकन प्रथा में जहां कंपनी ने चालू प्रतिष्ठान अवधारणा के पालन की पुष्टि की।
- (ख) कंपनी ने 99,23,71,801.35 रुपये की देनदारियों को प्रतिलेखन कर दिया था जिसमें संबंधित लेनदार के साथ कोई समझौता किए बिना एकतरफा कार्रवाई के आधार पर रु. 24,04,45,472.00 की सीमा तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) से अग्रिम शामिल थे। पुनर्राकित वेतन और मजदूरी के लिए देयता रु. 65,54,548.00 है और अवैतनिक पड़ी हुई वी आर एस के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से 1,14,48,805.00 रुपये प्राप्त को उपयोग नहीं किया गया है बजाय इस तरह के बकाया देय वापस लिखा जा रहा है। बकाया वेतन और मजदूरी जिसके लिए राशि प्राप्त हुई थी, का भुगतान नहीं किया गया है। हम इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों के अभाव में पुनर्राकित की सत्यता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- (ग) बट्टे खाते में डाली गई संपत्ति 5,23,444.34 रुपये की सीमा तक है जिसमें एच.बी. एडवांस के तहत कर्मचारियों को अग्रिम शामिल है। हमारी राय में इस तरह के भौतिक दावे को त्यागना परिसमापन के तहत हितधारकों के हित के लिए प्रतिकूल साबित होता है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

घ) माल / व्यय के लिए देय व्यापार के तहत शेष राशि का समाधान और पुष्टि, (प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गये को छोड़कर) ग्राहकों से अग्रिम, ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा, व्यापार प्राप्य, और अन्य अग्रिमों का निष्पादन और प्राप्त नहीं किया गया है। हमारी राय में इस तरह के समाधान और पुष्टि होने तक वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा विवरण की कमी समयबद्ध देनदारियों की मात्रा सामने आया है तथा खातों पर परिणामी प्रभाव है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एस ए एस) पर मानदण्ड के अनुसार स्टैंडालोन वित्तीय लेखों के हमारी लेखा परीक्षा संचालित किये हैं। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडालोन वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी किये गये आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं साथ-साथ अधिनियम तथा इसके तहत बनाये गए नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडालोन वित्तीय लेखों का हमारे लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आई सी ए आई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि लेखा सबूत जो हमने प्राप्त किये हैं हमारे योग्य मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

हम तथ्य के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं कि प्राप्त शेयर आवेदन राशि रु. 153.92 करोड़ हो गया है जो भारत सरकार को आबंटन के लिए लंबित है। अतः ऐसे शेयरों का गैर आबंटन के लिए कारण वित्तीय प्रभाव को वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है।

स्टैंडालोन वित्तीय विवरण के अलावा अन्य जानकारी तथा उस पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

कंपनी का निदेशक मंडल दूसरी सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक, नैगमिक अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडालोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडालोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा मत अन्य जानकारी को कवर नहीं करता है और उस पर हम किसी भी तरह के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडालोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा-परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को अध्ययन करने के लिए है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडालोन वित्तीय विवरण के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्य जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम मानते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की सूचना देना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।



स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों की लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी के निदेशक मंडल इन स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताये गये मामलों के लिए जिम्मेदार हैं कि लेखांकन मानदण्ड तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय संपादन तथा नकद प्रवाह की एक सच्ची एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दे। यह जिम्मेदारी भी कंपनी के परिसंपत्तियों के सुरक्षा हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं आवेदन, निर्णय करना तथा आकलन करना सम्मिलित है जो उचित एवं विवेकपूर्ण है तथा समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो लेखांकन रिकार्ड के शुद्धता एवं परिपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित थे, स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों की तैयारी तथा प्रस्तुती के संबंध में है कि एक सच्ची एवं अनुकूल दृष्टिकोण दे तथा ठोस गलतबयानबाजी से मुक्त हो, चाहे जालीसाली या त्रुटी के कारण हो।

स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों को तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने के लिए/चालू प्रतिष्ठान नहीं के लिए चालू प्रतिष्ठान के संबंध में खुलासे, जैसा लागू है, मामले के लिए तथा लेखांकन के आधार पर चालू प्रतिष्ठान का उपयोग करने हेतु जिम्मेदार हैं जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी के समापन या परिचालन को बंद करने के इच्छुक हैं या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैण्डालोन वित्तीय लेखा एक पूर्ण रूप से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, और एक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे उचित रूप से इन स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

एस ए एस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानने और उनका मूल्यांकन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, उन जोखिमों के लिए प्रभावी लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन और संपादन करना, और प्राप्त लेखा सबूत जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की उल्लंघन शामिल हो सकती है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के क्रम में लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्थान या इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के आधार चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला और प्राप्त लेखा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित एक ठोस अनिश्चितता मौजूद है या जो चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, और हमने अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय लेखों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित किया है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखा सबूत पर आधारित हैं
- स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री सहित खुलासे का मूल्यांकन करें, कि क्या स्टैण्डालोन वित्तीय लेखा अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होता है।

भौतिकता स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय लेखों के एक यथोचित जानकार उपभोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय लेखों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उन लोगों को सूचित करते हैं जिनपर अभिशासन संबंधी, अन्य मामलों में, ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ आरोप लागे हैं, सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियां, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिनपर एक बयान के साथ अभिशासन में आरोप लागे हैं जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उनके सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता का वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय हो सकते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम हेतु हमारे लेखा-परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।



- ख) उपरोक्त मामले पर जोर अनुच्छेद के अध्ययन के साथ उपरोक्त अनुच्छेद में योग्य राय के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारे विचार से, कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार खातों की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा अब तक रखी गई है जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- ग) इस प्रतिवेदन द्वारा दी गई तुलन-पत्र, लाभ और हानि का लेखा और नकद प्रवाह के लेखे का खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ अनुबंध में है।
- घ) उपरोक्त मामले पर जोर अनुच्छेद के अध्ययन के साथ उपरोक्त अनुच्छेद में योग्य राय के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारे विचार से, पूर्वोक्त स्टैंडालोन वित्तीय लेखे का कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के विनियम 7 के अध्ययन के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानदण्डों का अनुपालन करते हैं।
- ङ) 31 मार्च, 2021 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्व के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया, 31 मार्च, 2021 को अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता की पर्याप्तता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट 'अनुलग्नक क' में देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।
- छ) हमने लेखा-परीक्षा के संचालन करते समय अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के साथ अनुपालन किया है और कंपनी द्वारा इस संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, इस रिपोर्ट में 'अनुलग्नक ग', में इस तरह के निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान दिये हैं।
- ज) कंपनी (लेखा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के विनियम 11 के यथा संशोधित अनुसार लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दिये गये हमारी सर्वोत्तम तथा स्पष्टीकरण के अनुसार है :
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर लंबित कानूनी मामलों का खुलासा किया है जैसा का वित्तीय विवरण के द्रष्टव्य सं. 21 में कहा गया है।
 - कंपनी ने कोई दीर्घावधि अनुबंध सहित यौगिक अनुबंध नहीं किया है जिसके लिए किसी मामले में निकटतम हानि होते।
 - कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष में किसी रकम का हस्तांतरित होने वाला कोई रकम नहीं है।
 - प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को या किसी अन्य संस्था या व्यक्ति में कोई धनराशि का अग्रिम राशि या ऋण या निवेश नहीं किया गया है या प्रबंधन द्वारा किए गए अनुसार कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।



- v. कंपनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है या प्रबंधन द्वारा किए गए अनुसार कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।
- vi. हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त खंड (iv) और (v) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- vii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश या भाग घोषित नहीं किया गया था।
- viii. कंपनी अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है जिसमें ऑडिट ट्रायल सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए संचालित किया गया है और ऑडिट ट्रायल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रायल प्रस्तुत किया गया है
- 2 अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (द आर्डर) द्वारा जैसा कि अपेक्षित है के अनुसार हमने आर्डर के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक वक्तव्य 'अनुलग्नक ख' में दिये हैं।

कृते जी. बासु एण्ड कं.

सनदी लेखापालक
(पंजीकरण सं. : 301174ई)

(पी बागची)

साझेदार

यू डी आई एन सं. : 22051524AVEQKY6286

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23 सितंबर, 2022

सदस्यता सं. 051524

अनुलग्नक - क कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन

हमने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का, कम्पनी के स्टैण्डालोन वित्तीय विवरणों सहित हमने लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन के दायित्व

कंपनी के प्रबंधन पर इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण हेतु जारी निर्देश टिप्पणी में दिये गये महत्वपूर्ण अंशों के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों के मानदण्ड पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का दायित्व होता है। इन दायित्वों के तहत ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के उपायों की रचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव करना होता है, जो कि व्यापार के सुगमतापूर्वक एवं प्रभावकारिता सहित प्रचालन को सुनिश्चित करे तथा कंपनी की नीतियों, संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों से बचाव एवं पहचान, खाता लिखित रिकॉर्डों की सटीकता एवं सम्पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं के समयानुसार प्रकाशन को सुनिश्चित करे, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आवश्यक हैं।

लेखा-परीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत प्रकट करें। हमने अपना लेखा-परीक्षण आई सी ए आई द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण हेतु जारी निर्देश टिप्पणी (निर्देश टिप्पणी) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अनुसार माने गये मानदण्ड के अनुसार, यथासम्भव आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा-परीक्षण किया है। ये मानदण्ड एवं निर्देश टिप्पणी, जिनका हम अनुपालन करते हैं, लेखा-परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना के माध्यम से उचित आश्वासन देते हैं कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं रखा गया और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रिक मामलों में प्रभावी तरीके से प्रचालित हुए हैं।

हमारा लेखा-परीक्षण कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा-साक्ष्य प्राप्त करने हेतु विधियों का निष्पादन करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक नियंत्रण को बनाना एवं प्रचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है। इस क्रम में प्रयुक्त विधि का चुनाव लेखा-परीक्षण के निर्णय के अनुसार होता है, जो कि वित्तीय विवरणों के सामग्रिक गलत बयानी के जोखिम, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न, सहित अनेक मुद्दों पर विचार कर किया जाता है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तात्पर्य

किसी कम्पनी का वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी विधि है, जिसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के बारे में सामान्यतया स्वीकृत खाता लेखन सिद्धांतों के



अनुसार पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हो सके। किसी कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत वो नीतियाँ एवं विधियाँ होती हैं, जो कि (1) रिपोर्टों के रख रखाव, कंपनी के लेनदेन एवं संपत्तियों के बारे में पर्याप्त विवरण एवं सटीकता सहित हों; (2) इस बारे में यह आश्वासन दें कि वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आवश्यक लिखे गये लेनदेन के विवरण सामान्यतया स्वीकृत खाता लेखन मानदण्डों के अनुसार है तथा कंपनी की प्राप्ति एवं व्ययों को कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत तरीकों से ही किया जाता है; एवं (3) किसी भी प्रकार की अनाधिकृत प्राप्तियों या कंपनी की संपत्तियों की बिक्री के निरोध या समयानुसार पहचान के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे, जो कि वित्तीय विवरणों पर सामग्रिक प्रभाव डाल सकती हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित बाध्यताएं

वित्तीय प्रतिवेदनो पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अंतर्निहित बाध्यताओं के कारण, जैसे कि - मिलीभागत या नियंत्रणों पर गलत प्रबंधन दबाव की संभावनाओं के कारण सामग्रिक गलत बयानी हो सकती है तथा उनके बारे में जानकारी नहीं भी हो सकती है। साथ ही, भविष्य में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से सम्बद्ध किसी प्रकार की भविष्यवाणी करने में यह जोखिम हो सकता है कि परिस्थिति में बदलाव या नीतियों या विधियों के अनुपालन करने के स्तर में गिरावट के कारण वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त नहीं भी हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्ता (तथा इसलिए संचालन प्रभावशीलता) पर योग्य मत

हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे लेखा-परीक्षा पर आधारित, निम्नलिखित सामग्री की कमजोरियों को 31मार्च, 2021 तक पहचान की गयी :

- (क) कंपनी व्यापार प्राप्ति, व्यापार देनदारियाँ एवं आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम राशि तथा ग्राहकों से अग्रिम राशि के आवधिक शेष राशि के प्राप्त करन हेतु समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी जो वित्तीय स्थिति के प्रभाव तथा परिचालित वक्तव्य को संभावित रूप से प्रभावित कर सके।
- (ख) कंपनी का परिचालन 14 वर्ष से अधिक से निलंबित किया जा रहा है तथा कंपनी एक बिमार औद्योगिक कंपनी हो रही है, इसलिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा कोई पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तैयार नहीं किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक सामग्री कमजोरी एक कमी या एक कमियों का संयोजन है, जो कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरण के ठोस गलतबयानबाजी समय आधार पर ना तो रोका या ना ही पता लगाया जाएगा।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हमारे विचार में, नियंत्रण मानदण्ड के उद्देश्य के उपलब्धों पर उल्लेखित ठोस कमजोरियों के संभावित प्रभाव के अलावा, कंपनी बनाये रखा है, सभी सामग्री के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इण्डिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार कर रही है।

हमने कंपनी के मार्च 31, 2022 वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा में आवेदित लेखा परीक्षण के प्रकृति, समय, एवं सीमा के निर्धारण में सामग्री की कमजोरी पहचान कर विचार किया तथा ऊपर रिपोर्ट किया है, तथा इस सामग्री की कमजोरी कंपनी के वित्तीय विवरण पर हमारे विचार को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते जी. बासु एण्ड कं.

सनदी लेखापालक

(पंजीकरण सं. : 301174ई)

(पी बागची)

साझेदार

यू डी आई एन सं. : 22051524AVEQKY6286

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23 सितंबर, 2022

सदस्यता सं. 051524



लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुलग्नक - ख

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैण्डालोन वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन में संदर्भित अनुलग्नक, हम प्रतिवेदन करते हैं कि :

- (i) (क) प्रबंधन द्वारा हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पूरी विवरण, स्थाई संपत्ति के परिणात्मक विवरण तथा अवस्था सहित को दिखाने के लिए उपयुक्त रिकार्ड नहीं बनाये रखे हैं।
(ख) प्रबंधन द्वारा हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों के सभी टाइटल विलेख कंपनी के नाम में रखा गया है।
(ग) कंपनी ने अपने संपत्ति संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
(घ) जानकारी के अनुसार कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और सभी संपत्तियां संयंत्र और उपकरण कंपनी के नाम पर हैं और इस संबंध में कोई कार्यवाही अस्तित्व में नहीं है।
- (ii) कंपनी के पास कोई वस्तुसूची लेखा के तहत वर्ष के दौरान नहीं है, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(ii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- (iii) हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा पुस्तक के हमारे परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, प्रतिष्ठानों को लिमिटेड दायित्व साझेदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन बनाये रखे गये रजिस्टर में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित तथा असुरक्षित मंजूर नहीं किये हैं। परिणामस्वरूप आदेश के अनुच्छेद iii (क), (ख) एवं (ग) के प्रावधानों को कंपनी के लिए लागू नहीं है तथा अतः उस पर टिप्पणी नहीं की है।
- (iv) हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किये गये कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी कोई निवेश, किसी ऋण का अग्रिम, दिया गया कोई गारंटी या अन्य के लिए कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं किया है और इस तरह कंपनी की धारा 185 और 186 लागू नहीं होती है।
- (v) कंपनी के पास अपनी पात्रता से अधिक जमा राशि है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधान, आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।
कंपनी के नियम 2(xii)(ए) (जमा राशि की स्वीकृति)-नियम, 2014 को लागू करने में जमाकर्ता की भूमिका ग्रहण करने वाले ग्राहकों से अग्रिम जमाराशि के लिए संबंधित जमाराशियां जिम्मेदार हैं।
- (vi) कंपनी की निर्माण गतिविधियाँ लंबे समय से बंद है तथा भारत सरकार कंपनी को बंद करने के लिए अपनी सहमती दी है, इसलिए कोई लागत लेखा नहीं बनाये जा रहे हैं।
- (vii) क) हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्ड को हमारे जांच के आधार पर अविवादित सांविधिक बकायों के संबंध में लेखा-पुस्तक में काटे गये/अर्जित रकम सहित भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सर्विस कर, मूल्य वर्धित कर, कर्मचारियों का राज्य बीमा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस या अन्य सामग्री वैधानिक बकाया का समान्यतया समुचित अधिकारियों से कंपनी द्वारा अवधि के दौरान नियमित रूप से जमा किये गये।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कोई विवादित वैधानिक बकाया सहित भविष्य निधि, आयकर, मूल्य वर्धित कर या अन्य सामग्री वैधानिक बकाया निम्नलिखित मामलों के अलावा उन्हें भुगतान की तारीख से छः माह से अधिक की अवधि हेतु 31 मार्च, 2021 को बकाया में नहीं थे।

विवरण	रकम रु. लाख में
कार्य अनुबंध कर	-
जी एस टी के अधीन टी डी एस	-
संपत्ति कर (ब्याज सहित)	28.37
स्रोत में संग्रहित कर	-
स्रोत में काटे गये कर	-
भविष्य निधि पर ब्याज	-
पेंशन	-
कुल	28.37

ख) हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित बकाया 31 मार्च 2021 को विवाद के लेखे में कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया है :

क्र. सं.	कानून	बकाये के प्रकार	फोरम	रु. लाख में	वर्ष
1.	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय	114.44	1981
2	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	बोलपुर के कमीशनरी	80.97	1988-89 1991-92 1992-93
3	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	आसनसोल के सहायक कमीशनरी	38.32	1986-87 1990.-91 2000-01 2001-02
4.	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	दुर्गापुर के सहा. कमीशनरी	1.19	1995-96

- (viii) कंपनी के पास वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकारी या ऋणपत्र धारक से कोई ऋण या उधार नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (viii) लागू नहीं है।
- (ix) हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक जनता प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के जरिये कोई राशि नहीं बढ़ाया है। हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आगे वर्ष के दौरान प्राप्त मियादी ऋण की अदायगी जो बढ़े थे के उद्देश्य के लिए आवेदन किये गये थे।
- (x) संपादित लेखा-परीक्षा प्रक्रिया तथा हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण पर आधारित, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में कोई जालसाजी वर्ष के दौरान दिखाई या रिपोर्ट नहीं किये गये, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे मामले को सूचित किया गया है।



- (xi) हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक भुगतान नहीं किये गए या प्रदान किये हैं तथा इसलिए अनुच्छेद 3(xi) लागू नहीं है।
- (xii) हमारे विचार में तथा हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है तथा इसलिए अनुच्छेद 3 (xii) लागू नहीं है।
- (xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के तहत किसी भी पार्टी के साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया था।
- (xiv) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी आंतरिक लेखा परीक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की है जैसा कि कहा गया है और तदनुसार कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार पैरा 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xvi) (क) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
- (ग) चूंकि कंपनी कोर निवेश कंपनी नहीं है, इस संबंध में उल्लिखित प्रावधान लागू नहीं है।
- (घ) यह कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xvii) कंपनी को 2021-22 के साथ-साथ 2020-21 में ऑडिट के वर्ष में परिचालन गतिविधियों से नकद घटा हुआ है। इस तरह के नकद नुकसान इस प्रकार हैं:
- 2021-22 : ₹. 2,54,88,170
- 2020-21: रुपये, 2,59,08,475
- (xviii) चालू वर्ष में ऐसा कोई मामला नहीं है।



(xix) केंद्र सरकार ने अपने पत्र दिनांक 28.09.2016 द्वारा कंपनी को बंद करने के लिए यथा वर्णित अनुमोदित रोड मैप के कार्यान्वयन के लिए सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त करते हुए कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। 2005 से कंपनी की सभी निर्माण गतिविधियां बंद कर दी गई थीं।

(xx) यह कंपनी वर्तमान में धारा 135(5) के दायरे में नहीं आती है।

(xxi) हिंदुस्तान केबल लिमिटेड एक स्टैंडअलोन कंपनी है और जानकारी के अनुसार एच.सी.एल. के तहत कोई सहायक कंपनी नहीं है।

कृते जी. बासु एण्ड कं.

सनदी लेखापालक

(पंजीकरण सं. : 301174ई)

(पी बागची)

साझेदार

सदस्यता सं. 051524

यू डी आई एन : 22051524AVEQKY6286

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23 सितंबर, 2022

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ग'

वित्त वर्ष 2021-22 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा निर्देशों पर प्रतिवेदन।

1. क्या कंपनी के पास आई टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आई टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को निहितार्थ, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।

हां, सभी लेखांकन लेनदेन आई टी सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं। हालांकि, जैसा कि हमें समझाया गया है, ऐसे परिचालन/लेनदेन हैं जो सिस्टम के बाहर होते हैं लेकिन कंपनी के खातों पर इसका असर पड़ता है।

विगत प्रथा के अनुसार, सभी लेनदेन मैन्युअल रूप से सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाते हैं जो खाते की नियमित पुस्तकों को बनाए रखता है।

मौजूदा प्रथा के अनुसार, कुछ लेन-देन लेखांकन लेनदेन के प्रवाह के रूप में लेखा चूक जाने की संभावना है, लेनदेन से जनित विषय पर स्वचालित नहीं है। आई टी प्रणाली के बाहर लेनदेन के वित्तीय निहितार्थ का पता लगाने योग्य नहीं है।

2. क्या मौजूद ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ब्याज आदि को माफी/बट्टे खाते में डालना है जिसे कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी के लिए ऋणदाता द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण और उस पर ब्याज की पुनर्चना नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें शामिल प्रतिलेखन की छूट है।

3. क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त योग्य धनराशि का इसके नियम और शर्तों के अनुसार सही तरीके से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

योग्य राय के आधार के अनुच्छेद (क) और (ख) में हमारी टिप्पणी के अधीन, जैसा कि हमें समझाया गया था और उपलब्ध सूचना के आधार पर कंपनी को मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था।

कृते जी. बासु एण्ड कं.

सनदी लेखापालक

(पंजीकरण सं. : 301174ई)

(पी बागची)

(पी बागची)

साझेदार

सदस्यता सं. 0515244

यू डी आई एन : 22051524AVEQKY6286

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23 सितंबर, 2022



एक झलक में पिछला दस वर्ष

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
1	* आवर्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2	शुद्ध लाभ	8838.84	26956.07	1388.60	5185.59	70616.45	234846.15	(99411.81)	(93299.45)	(78188)	(88505)
3	सकल ब्लॉक	2563.71	2563.71	2563.71	2596.95	5321.38	45742.21	47425.26	47429.81	52553	52549
4	मूल्यहास प्रावधान	1948.02	1917.47	1886.47	1883.87	4362.36	42925.09	44151.43	43676.65	16172	47645
5	शुद्ध ब्लॉक	615.68	646.23	677.24	712.08	959.02	2817.12	3273.83	3753.16	4381	4895
6	शुद्ध चालू परिसंपत्ति कार्यकारी पूंजी	5141.00	(1311.57)	(33042.20)	(32179.21)	(37611.74)	(93417.65)	(115791.95)	(105487.63)	(91302)	(89396)
7	नियोजित पूंजी	5756.69	(665.33)	(30078.52)	(31467.13)	(36652.72)	(90600.53)	(112518.12)	(100724)	(86922)	(84501)
8	सुरक्षित ऋण	0	0	0	0	0	0	353788.27	306571.83	264285	229195
9	असुरक्षित ऋण	0	0	0	0	0	1487.87	328531.76	287022.72	251697	215782
10	शेयर पूंजी	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	41936.11	41936.11	41936.11	41936.11	41936.11
11	आरक्षित एवं अधिशेष	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674
12	संचित हानि	(501937.79)	(510776.63)	(537732.71)	(539121.32)	(544306.91)	(614923.37)	(849769.52)	(750372.31)	(657058)	(578870)
13	शुद्ध मूल्य	(9675.68)	(18514.52)	(45470.60)	(46859.21)	(52044.81)	(91756.77)	(802159.41)	(702762.31)	(609448)	(531260)
14	कर्मचारियों की सं.	0	0	0	0	0	0	1333	1533	1698	1832

टिप्पणी : *इसमें स्क्रैप बिक्री तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शामिल है, पर व्याज एवं विविध आय शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय कोष में अंशदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
1.	बिक्री कर	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
2.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
3.	सीमा शुल्क	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4.	वेतन एवं मजदूरी पर आयकर (ठेकेदारों एवं सलाह सेवा पर टीडीएस सहित)	0.11	0.10	.025	1.53	11.41
5.	दर एवं कर	0.37	0.38	0.38	0.00	0.00
6.	लाइसेंस शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	जी एस टी सहित जी एस टी टी डी एस	0.07	0.07	0.21	4.18	0.00
	कुल	0.55	0.55	0.84	5.71	58.31

31 मार्च, 2022 को यथास्थिति तुलन-पत्र

	द्रष्टव्य सं	31 मार्च 2022 को यथा स्थिति (रु. सैकड़ों में)	31 मार्च, 2021 को यथा स्थिति (रु. सैकड़ों में)
क.	इक्विटी एवं देयताएं		
1.	शेयरधारकों का कोष		
	(क) शेयर पूंजी	486,588,112.50	486,588,112.50
	(ख) आरक्षित एवं आधिक्य	(496,263,801.52)	(505,102,641.92)
		(9,675,689.02)	(18,514,529.42)
2.	शेयर अप्लिकेशन राशि लंबित आवंटन	15,392,086.24	15,392,086.24
3.	गेर-चालू देयताएं		
	(क) दीर्घावधि ऋण	40,296.85	2,457,113.19
4.	चालू देयताएं		
	(क) लघुअवधि ऋण	-	-
	(ख) व्यापार देय		
	(i) सूक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम (एम एस एम ई) का कुल बकाया राशि	22,748.98	22,748.98
	(ii) एम एस एम ई के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	1,375.00	1,406.25
	(ग) अन्य चालू देयताएं	2,259,353.86	9,761,125.83
	(घ) अल्पावधि प्रावधान	987,695.33	84,549.26
		3,271,173.17	9,869,830.32
	कुल	9,027,867.24	9,204,500.33
ख.	परिसंपत्तियाँ		
1.	गेर-चालू परिसंपत्तियाँ		
	(क) परिसंपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	615,687.96	646,237.29
		615,687.96	646,237.29
2.	चालू परिसंपत्तियाँ		
	(क) प्राप्य व्यापार	-	-
	(ख) नकद एवं नकद समतुल्य	8,042,499.18	7,965,020.02
	(ग) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम राशी	111,167.60	293,880.60
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	258,512.50	299,362.43
		8,412,179.28	8,558,263.05
	कुल	9,027,867.24	9,204,500.33
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1	
	संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।		
	उस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में		
	कृते जी. बासु एण्ड कं.		
	सनदी लेखापाल		
	पंजीकरण सं. 301174ई		
	(पी बागची)	के. मोहन	अमल कुमार बोस
	साझेदार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सलाहकार
	(सदस्यता सं. -051524)	डी आई एन-08385809	
	स्थान:कोलकाता		
	दिनांक : 23 सितंबर, 2022		



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

	द्रष्टव्य सं	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)
I. आय			
अन्य आय	13	333,519.83	390,164.17
कुल राजस्व		333,519.83	390,164.17
II. व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	14	-	-
अन्य व्यय	15	1,382,613.68	365,975.47
मूल्यहास	6	30,549.34	31,006.80
कुल व्यय		1,413,163.02	386,982.27
III. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(1,079,642.20)	3,181.89
असाधारण मदें	16 एवं 24	9,918,483.57	26,952,894.39
IV. वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		8,838,840.38	26,956,076.28
प्रति शेयर आय - मूल एवं मंदित (रु.)	30	0.18	0.55
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
संलग्नित टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।			

उस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में

कृते जी. वासु एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
पंजीकरण सं. 301174ई

(पी बागची)
साझेदार
(सदस्यता सं. -051524)

के. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन-08385809

अमल कुमार बोस
सलाहकार

स्थान:कोलकाता
दिनांक : 23 सितंबर, 2022

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व एवं अतिरिक्त- साधारण मद से शुद्ध लाभ/हानि (-)	2,838,840.38	26,956,076.28
जोड़े/(घटाएँ)/ समायोजन हेतु :		
मूल्यहास	30,549.34	31,006.80
देयता पुनरांकित	(9,923,718.02)	(27,156,354.87)
परिसंपत्तियों को बड़े खाते में डाला गया	5,234.44	203,460.48
ब्याज आय	(332,360.85)	(387,532.26)
कार्यकारी पूंजीगत परिवर्तन पूर्व प्रचालन नकद प्रवाह	(1,381,454.71)	(353,343.57)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		
प्रायः व्यापार में हास/(वृद्धि)	-	13,001.17
ऋण एवं अग्रिम राशि में हास/(वृद्धि)	177,357.67	114,566.34
अन्य चालू परिसंपत्तियों में हास/(वृद्धि)	42,14,427	-
अल्पावधि ऋण में वृद्धि (हास)	-	8,787.58
व्यापार देयताओं में वृद्धि/(हास)	(31.25)	(125,007.00)
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(हास)	5,250.59	39,215.49
प्रावधान में वृद्धि/(हास)	903,146.07	1,550.98
कार्यकारी पूंजीगत परिवर्तन के पश्चात् प्रचालन नकद प्रवाह	(254,881.70)	(259,084.75)
घटाएँ : वर्ष के दौरान (टी डी एस) सीधे कर भूरातान	-	-
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	क (254,881.70)	क (259,084.75)
ख निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
प्राप्त ब्याज	332,360.85	387,532.26
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	ख 332,360.85	ख 387,532.26
ग वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद	ग -	ग -
नकद एवं नकद समतुल्य (क+ख+ग) में शुद्ध वृद्धि/हास (-)	77,479.15	128,447.51
नकद एवं नकद समतुल्य (प्रारंभिक)	7,965,020.03	7,840,694.49
नकद एवं नकद समतुल्य (अंतिम)	8,042,499.18	7,969,142.00
(टिप्पणी 10 में उल्लेखित मद अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य द्वारा प्रतिनिधित्व)		

उस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में

कृते जी. बासु एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
पंजीकरण सं. 301174ई

(पी बागची)
साझेदार
(सदस्यता सं. -051524)

के. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन-08385809

अमल कुमार बोस
सलाहकार

स्थान:कोलकाता
दिनांक : 23 सितंबर, 2022



टिप्पणी 1 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क) लेखांकन विधि

इन वित्तीय विवरण को प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी ने अपने खातों को चालू प्रतिष्ठान अवधारणा के आधार पर संकलित नहीं किया है। कंपनी अपने वित्तीय विवरण की तैयारी हेतु लेखा के परिसमापन आधार को अपनाया है। वित्तीय विवरण को कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनुसार लेखांकन मानदण्डों के अनुपालनानुसार तैयार किया गया है।

ख) स्थाई संपत्तियाँ

स्थायी परिसंपत्तियों की लागत, केवल पश्चिम बंगाल सरकार एवं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि के अलावा, इसके क्रय मूल्य, इसके उपयोग के उद्देश्य के लिए इसे कार्यकारी स्थिति में परिसंपत्ति को लाने में लागत तथा यह उपयोग के लिए उपलब्ध है की अवधि तक हेतु निर्माण/अधिग्रहण के जिम्मेदार आस्थगित क्रेडिट/उधार कोष के संबंध में वित्तीय लागत सम्मिलित है।

सन 1952-53 में रूपनारायणपुर की फैक्ट्री के बनाये जाने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि का मूल्य केवल रु. 1,530.00 (रु. सैंकड़ों में) आंका गया है। इसी प्रकार से हैदराबाद की फैक्ट्री के निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि का मूल्य केवल रु. 300.00 (रु. सैंकड़ों में) आंका गया है। इन भूमियों के मूल्य को पूंजीगत संरक्षित कोष के खाते में यथोचित जमा खाते लिखा गया है।

विदेशी मुद्रा के ऋण के पुनर्विवरण से उपजे लाभ या हानि को तुलन-पत्र की तिथि पर लागू दरों के अनुसार स्थाई संपत्ति की लागत के समायोजन के तौर पर माना जाता है तथा इसे समुचित स्थाई संपत्ति की अग्रेषित रकम में समाहित किया जाता है।

ग) मूल्यहास

स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्यहास को संपत्ति की मूल लागत के 5% अवशिष्ट मूल्य को रख कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा विधि से प्रावधानित किया गया है। मूल्यहास को वर्ष के दौरान संपत्तियों के योग/घटाव के यथानुपात के अनुसार प्रावधानित किया गया है।

घ) देयता

सभी ज्ञात व आंकलित देयताओं को, असामग्रिक प्रकार के अलावा, तुलन-पत्र की तिथि तक उपार्जन के आधार पर खाते में ज्ञापित किया जाता है।

(ङ) पूर्व अवधि मर्दे :

पूर्व अवधि की मर्दे आय या व्यय हैं जो वर्तमान अवधि में एक या एक से अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण की तैयारी में त्रुटियों या चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं और तदनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

(च) तैयारी का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और नकद और नकद समतुल्य में प्रसंस्करण और उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों एवं देयताओं के चालू-गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए 12 माह के इसके संचालन चक्र को निर्धारित किया है।

(छ) अनुमानों का उपयोग

भारतीय जी ए ए पी के अनुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुमानों और मान्यताओं की आवश्यकता होती है जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तिथि को संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं।



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सैकड़ों में 31 मार्च, 2022 को यथा स्थिति	रु. सैकड़ों में 31 मार्च, 2021 यथा स्थिति				
2 : शेयर पूंजी						
प्राधिकृत :						
रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10/- प्रति शेयर के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	600,000,000.00	600,000,000.00				
निर्गत, अभिदत्त एवं चुकता :						
पूर्ण चुकता रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 4,865,881,125 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 4,865,881,125 के इक्विटी शेयर)	486,588,112.50	486,588,112.50				
(क) इक्विटी शेयर						
वर्ष के प्रारंभ में शेष	486,588,112.50	486,588,112.50				
जोड़ें : वर्ष के दौरान आवंटित	-	-				
वर्ष के अंत में शेष	486,588,112.50	486,588,112.50				
(ख) वर्ष के अंत में प्रमोटर्स द्वारा रखे गये शेयरों में प्रमोटर्स के शेयरधारिता शेयरधारक का विवरण						
रु. 10/- प्रति पूर्ण चुकता के इक्विटी शेयर						
प्रमोटर्स के नाम	शेयर संख्या	शेयरधारिता %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %	शेयर संख्या	शेयरधारिता %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत के राष्ट्रपति	4,865,881,125	100.00%		4,865,881,125	100%	
वर्ष के दौरान कंपनी के किसी निदेशक द्वारा कॉल का भुगतान बकाया नहीं है।						
3 आरक्षित एवं आधिक्य						
आरक्षित पूंजी (आ. प्र. एवं प. बं सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि के लिए जमा दर्शाये गये हैं)	1,830.00			1,830.00		
क	1,830.00			1,830.00		
सामान्य आरक्षण						
प्रारंभिक शेष	5,672,163.18			5,672,163.18		
जोड़ें : आरक्षित पूंजी से हस्तांतरित डिबेंचर विमोचन आरक्षण	-			-		
जोड़ें : आरक्षित पूंजी से हस्तांतरित बांड विमोचन आरक्षण	-			-		
अंतिम शेष	5,672,163.18			5,672,163.18		
ख	5,672,163.18			5,672,163.18		
आधिक्य/(कमी)						
प्रारंभिक शेष	(510,776,635.07)			(537,732,711.39)		
जोड़ें : वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	8,838,840.38			26,956,076.28		
अंतिम शेष	(501,937,794.70)			(510,776,635.10)		
ग	(501,937,794.70)			(510,776,635.10)		
शुद्ध शेष	(496,263,801.52)			(505,102,641.92)		
क+ख+ग	(496,263,801.52)			(505,102,641.92)		



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6- : परिसंपत्ति प्लॉट एवं उपकरण

(रु. सैकड़ों में)

मद	स्वामित्व भूमि	एग्रीज रोड	भूमि विकास	फैक्ट्री व आफिस भवन	प्रशासनिक भवन	आवासीय भवन	गैर-आवासीय भवन	जल आपूर्ति और स्वच्छता	रेलवे साइडिंग	फर्निचर्स फिटिंग, कार्यालय, उपकरण	कंप्यूटर्स	कुल
लागत												
01.04.2021 को वर्ष के दौरान परिवर्धन	31,062.65	2,375.95	233,776.12	203,857.53	38,056.57	1,407,558.80	318,773.06	105.07	12,589.07	213,097.25	102,464.92	2,563,716.99
हस्तांतरण/कटौती/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-3-2022 को मूल्यांकन	31,062.65	2,375.95	233,776.12	203,857.53	38,056.57	1,407,558.80	318,773.06	105.07	12,589.07	213,097.25	102,464.92	2,563,716.99
01.04.2021 को वर्ष हेतु हस्तांतरण/कटौती/ समायोजन	-	2,257.15	222,087.27	174,069.92	22,751.47	912,816.12	272,337.97	99.82	11,959.59	201,758.73	97,341.65	1,917,479.69
31-3-2022 को शुद्ध ब्लॉक	-	2,257.15	222,087.27	176,056.40	23,957.86	935,055.55	277,374.58	99.82	11,959.59	201,839.16	97,341.65	1,948,029.03
01.04.2021 को	31,062.65	118.80	11,688.85	29,787.61	15,305.10	494,742.66	46,435.09	5.25	529.48	11,338.52	5,123.27	646,237.29
31-3-2022 को	31,062.65	118.80	11,688.85	27,801.13	14,098.71	472,503.25	41,398.48	5.25	629.48	11,258.09	5,123.27	615,687.96

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सैकड़ों में		रु. सैकड़ों में	
	31 मार्च 2022 को यथास्थिति		31 मार्च 2021 को यथास्थिति	
10 नकद एवं नकद समतुल्य				
हाथ में नकद	35.56	35.56	1.90	1.90
अनुसूचित बैंक में मियादी जमा				
इण्डियन ओवरसीज बैंक	-		20,985.87	
बी ओ बी	7,117,939.45		5,023,670.75	
इण्डियन बैंक	262,328.99		261,089.20	
भारतीय स्टेट बैंक	-	7,380,268.44	2,627,679.16	7,933,424.98
अनुसूचित बैंक में चालू खाता में				
भारतीय स्टेट बैंक (सभी शाखा)	872.53		6,652.11	
बैंक ऑफ़ बड़ोदा	612,418.60		(4,121.98)	
इंडियन बैंक	48,904.05		27,931.25	
इण्डियन ओवरसीज बैंक	-	662,195.18	1,131.76	31,593.14
		8,042,499.18	7,965,020.02	
11 अत्यावधि ऋण एवं अग्रिम राशि				
प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद में या वस्तु में या वसूलीयोग्य अग्रिम राशि :				
शुद्ध माने गये		48,383.78		52,990.32
संदिग्ध माने गये		199,775.42		199,775.42
		248,159.20		252,765.74
घटाएं : संदिग्ध अग्रिम राशि के लिए प्रावधान		199,778.90		199,778.90
		48,380.30		52,986.84
प्राप्य अन्य राशि		1,463.44		1,118.75
आयकर एवं टी डी एस का अग्रिम भुगतान	192,090.13		181,010.59	
घटाएं : आयकर और टीडीएस के अग्रिम भुगतान के बाबत प्रावधान	130,766.27	61,323.86	-	181,010.59
अन्य अग्रिम राशि	58,218.60	-	58,764.42	
घटाएं : संदिग्ध परिसंपत्तियों के बाबत प्रावधान	58,218.60	-	-	58,764.42
		111,167.60		293,880.60
12 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				
राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष राशि		108,137.26		87,684.09
अर्जित ब्याज		150,375.24		211,678.34
		258,512.50		299,362.43



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सैकड़ों में	
	31 मार्च 2022 को यथास्थिति	31 मार्च 2021 को यथास्थिति
13 अन्य आय		
ब्याज	332,360.85	387,532.26
आई टी रिफंड पर ब्याज	1,119.03	2,628.68
विविध आय	39.95	3.23
	<u>333,519.83</u>	<u>390,164.17</u>
14 कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं हितलाभ		
वेतन एवं मजदूरी		
15		
क अन्य व्यय :		
विद्युत एवं इंधन	-	262.61
बिजली प्रभार	2,288.82	6,186.84
भरमती :		
अन्य	2,795.12	2,829.27
दर एवं कर	36,587.40	35,791.10
रिटर्नेशियप शुल्क (सलाहकार)	42,384.14	63,163.96
परामर्श कार्य का शुल्क	8,159.44	16,760.00
यात्रा एवं भाड़ा	6,852.76	8,240.72
डाक, टेलीग्राम एवं टेलीफोन	1,088.29	1,261.80
अन्य पर ब्याज	4.65	2,088.49
बैंक प्रभार	466.61	43.24
लेखा -परीक्षा शुल्क		
वैधानिक लेखा-परीक्षा	1,250.00	1,250.00
कर लेखा-परीक्षा	250.00	1,500.00
प्रबंधन सेवा	6,000.00	5,530.00
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	932.66	845.02
कानूनी व्यय	27,303.88	7,900.92
ठेका श्रमिक के लिए मजदूरी	-	1,550.98
सुरक्षा व्यय	71,546.64	75,537.58
पेशा शुल्क	4,264.60	13,059.00
विविध व्यय	514.51	936.96
अन्य व्यय	284.08	504.90
	<u>212,973.60</u>	<u>2,43,993.39</u>

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सेकड़ों में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	रु. सेकड़ों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ख		
प्रावधान		
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	10,581.97
संदिग्ध परिसंपत्तियों के वास्तविक प्रावधान	188,984.87	-
जी एस टी देय हेतु प्रावधान	28,557.45	-
आयकर हेतु प्रावधान	867,891.99	-
टी डी एस देय हेतु प्रावधान	6,696.63	101,400.11
	<u>1,092,130.94</u>	<u>111,982.08</u>
ग :		
पूर्वावधि समायोजन		
अन्य खर्चे	77,509.14	-
	<u>77,509.14</u>	-
कुल (क+ख+ग+घ)	<u>1,382,613.68</u>	<u>355,975.47</u>
16		
असाधारण मदें (संदर्भ टिप्पणी -24)		
देयताएं वापस लिखा गया	9,923,718.02	27,156,354.87
परिसंपत्तियों को बटुटे खाते में डाला गया	(5,234.44)	(203,460.48)
	<u>9,918,483.57</u>	<u>26,952,894.39</u>



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 17

	31.03.2022 को	31.03.2021 को
	रु. सैकड़ों में	रु. सैकड़ों में
क. आकास्मिक देनदारियों के लिए प्रदान नहीं किया गया :		
(i) मध्यस्थता के अधीन मामले	81,000.00	81,000.00
(ii) अन्य न्यायालय मुकदमों	20,122,220.21	3,598,470.00
(iii) उप श्रमिक आयुक्त	13,300.00	13,300.00
(iv) श्रम न्यायालय	128,160.00	128,160.00
(v) सी. जी. इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल	475,000.00	475,000.00
(vi) इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल	3,760.00	3,760.00
(vii) वेतन संशोधन के अनुसार बकाए (भविष्य निधि सहित)	1,727,580.00	1,727,580.00
(viii) ई पी एफ एवं एम पी अधिनियम, 1952 की धारा 148 के तहत हानि शुल्क हेतु प्रस्ताव	290,730.00	290,730.00
(ix) न्यायाधिन ठेकेदार के दावे	64,160.00	64,160.00
(x) सहा. श्रम आयुक्त द्वारा केजुअल कर्मचारियों को प्रदान किये गये शेष ग्रेच्युटी	173,120.00	173,120.00
(xi) उप ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों के विवादास्पद दावे	-	-
(xii) उत्पाद शुल्क के आंकलित रकम एवं उस पर ब्याज, अप्रावधानित	367,350.00	367,350.00
(xiii) सहायक श्रम आयुक्त द्वारा वी.आर. कर्मचारियों को प्रदान किये गये शेष आनुत्थिक	62,460.00	62,460.00
(xiv) समाप्त/निर्लंबित कर्मचारियों के संशोधित मजदूरी	83,710.00	83,710.00
(xv) ई एस आई (कर्मचारियों) के लिए ई एस आई एवं सी सी	16,480.00	16,480.00
(xvi) ई एस आई (31.03.2017 तक भूमि विस्थापित व्यक्ति)	10,660.00	10,660.00
(xvii) न्यास के बंद होने पर प्राप्त राशि	19,000.00	19,000.00
(xviii) टी एस आई आई सी द्वारा मल्लालूर, हैदराबाद में एच सी एल के उद्देश्य के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए मुआवजा वृद्धि के लिए मांग	72,910.00	72,910.00
(xix) एच सी ई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सदस्य बकाया रकम पर ब्याज का दावा किया है।	133,000.00	133,000.00
(xx) 1992/1997 मजदूरी संशोधन लंबित एडजुडिकेशन के दावे	1,212,105.48	1,146,560.00
(xxi) 58-60 हेतु वेतन एवं मजदूरी के दावे जिसमें पी एफ सम्मिलित है किंतु पीएफ लंबित अधिनियम पर ब्याज छोड़कर	2,774,330.00	2,774,330.00

(ख) प्रबंधन के आंकलन के अनुसार, इस समय कोई भी नकदी प्रवाह का मामला दिखाई नहीं देता है।

टिप्पणी 18 संदेहास्पद माने जाने वाले संपूर्ण व्यापार प्राप्तियों को पिछले वर्षों में पूरी तरह से प्रदान किया गया है।

टिप्पणी 19 जैसा कि कंपनी की निर्माण गतिविधियां 2005 से बंद है, कंपनी तब से कोई प्रक्योरमेंट नहीं बना रही है, जिसमें एम एस एम ई से सम्मिलित है। पूर्व अवधि वर्ष 2005 के संबंध में एम एस एम ई के रु. 22748.98 (रु. सैकड़ों में) (पूर्व वर्ष रु. 22748.98 (रु. सैकड़ों में) का पुराना बकाया शेष राशि है जो या तो समय बाधित है या तो समय या मुकदमा के अधीन किया गया है। अतः मूलधन पर ब्याज का एम एस एम ई अधिनियम के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है।

टिप्पणी 20 ई पी एफ एवं एम पी अधिनियम, 1952 की धारा 7क के तहत आर पी एफ सी/एस आर ओ/डी जी पी द्वारा आंकलन के अनुसार बकाये, उन पर लगे ब्याज सहित, 31.03.2018 तक सांविधिक बकायों के मद में भुगतान किये गये हैं। पर, ई पी एफ ए टी, नई दिल्ली में इस मद में दायर अपील को सुनवाई बाकी है।

टिप्पणी 21 कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यहास को संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी 22 डी एच आई के पत्रांक 1 (13)/2003-पीई-II (संस्क x) दिनांक 6 अक्टूबर, 2016, डी एच आई के तहत सीपीएसई को बंद करने के लिए अनुमोदित रोडमैप के कार्यान्वयन के लिए सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त करके एचसीएल को बंद किया जाएगा। यह आकर्षक वी आर एस/वी एस एस पैकेज के प्रस्ताव, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आई डी ए) के अधीन वी आर एस/वी एस एस के गैर इच्छुक कर्मचारियों के छटनी, सभी कर्मचारियों के संबंधित देयताओं के निपाटन से प्राप्त होगा जिसमें सम्मिलित है अप्रैल 2015 से वेतन एवं मजदूरी का भुगतान जब तक वे कंपनी से मुक्त नहीं हो जाते। तदनुसार सभी कर्मचारियों को 31.01.2017 को मुक्त कर दिया गया

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 वर्ष 2003 से, कंपनी वेतन, मजदूरी एवं अन्य सांविधिक बकायों के भुगतान हेतु भारत सरकार से समय-समय पर विभिन्न ऋण का उपयोग किया है। 31.3.2016 को ऐसी कुल ऋण मूलधन का 1,31,188.48 लाख तथा ब्याज का रु. 1,81,660.97 लाख कुल रु. 312849.45 लाख है। रु. 56348.04 लाख का अतिरिक्त ब्याज 1.4.2016 से 30.9.2016 तक की अवधि के दौरान उपार्जित की गई है। पत्रांक 1(13)/2003-पीई-II(संस्क X), दिनांक 6.10.2016 के तहत डी एच आई 30.9.2016 (तदुपरांत ब्याज का स्थिरीकरण) को रु. 3467.15 करोड़ (अनुमान) (रु. 1311.88 करोड़ का मूलधन तथा रु. 2155.27 करोड़ का ब्याज) का वर्तमान में भारत सरकार के ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के लिए केंद्रीय मंत्रीमंडल ने मंजूरी दे दी है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के बंद होने हेतु 28.09.2016 को आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन के संबंध में कंपनी ने रु. 25,858.00 लाख एवं रु. 14,150.00 लाख कुल रु. 40,000.00 लाख के लिए गैर योजना ऋण के रूप में नकद रूपरेखा प्राप्त किया है। उक्त रकम का सुरक्षित लेनदारों के बकायों तथा लंबित वेतन, मजदूरी के हिस्से का भुगतान तथा सांविधिक बकाया को ओ टी एस के लिए इस्तेमाल किया गया था। आगे वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने गैर-योजना इक्विटी रकम रु. 16,413.00 लाख, रु. 46,932.00 लाख, रु. 2148.00 लाख एवं रु. 866.00 लाख के रूप में नकद रूपरेखा को मंजूरी प्राप्त किया है। इन रकमों को शेष वेतन, मजदूरी एवं सांविधिक बकाया, के भुगतान, वी आर एस क्षतिपूर्ति के भुगतान सहित आनुतोषिक, आवधिक अवकाश नकदीकरण, अनौपचारिक श्रमिकों के भुगतान तथा मुन्नी स्वामी रेड्डी तथा अन्य के मामले में न्यायालय के आदेश के अनुसार भुगतान के लिए उपयोग किया गया था।

मंजूरी आदेश सं., दिनांक सहित एक तालिका तथा रु. 15392.08 के रकम वाले लंबित आवंटन के शेयर अप्लिकेशन राशि का मिलान नीचे दिये गये हैं।

विवरण	रकम आई एन आर में (लाख)			
1 अप्रैल, 2016 को भारत सरकार के मूलधन ऋण राशि	1,31,188.48			
1 अप्रैल, 2016 को उपार्जित एवं बकाया ऋण पर ब्याज	1,81,660.97			
2016-17 हेतु उपार्जित एवं बकाया ऋण पर ब्याज	52,259.43			
30.09.2016 को उपार्जित ऋण पर ब्याज किन्तु देय नहीं	4,088.61			
कुल	3,69,197.49			
2016-17 के दौरान प्राप्त ऋण/इक्विटी राशि				
क्र. सं.	भारत सरकार आदेश	आदेश की तारीख	स्वरूप	रकम आईएनआर में (लाख)
1.	सं.1(16)/2015-पीईII(I)	30.09.2016	गैर-योजना ऋण	25,850.00
2.	सं.1(16)/2016-पीईII(II)	30.09.2016	गैर-योजना ऋण	14,150.00
3.	सं.1(3)/2013-पीईII(I)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	16,413.00
4.	सं.1(3)/2013-पीईII(V)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	46,932.00
5.	सं.1(3)/2013-पीईII(II)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	2,148.00
6.	सं.1(3)/2013-पीईII(III)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	866.00
कुल				1,06,359.00
घटाएं : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जी ओ आई को हस्तांतरित राशि				15,000.00
घटाएं : पूर्व वर्ष में आरक्षित अतिरिक्त ब्याज का व्युत्क्रम				511.41
घटाएं : केनरा रोबेको म्युचुअल फंड से एच सी एल के शेयरों के क्रय हेतु जी ओ आई की ओर से जमा राशि				1.00
घटाएं : भारत सरकार को आर्बिट्रेशन शेयर (रु. 10 प्रति के 4,44,65,20,000 अदद शेयर)				4,44,652.00
शेयर अप्लिकेशन राशि लंबित आबंटन				15,392.08



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 असाधारण मदें

असाधारण मद रु. 9923718.02 (सैकड़ों में) की देयताओं के खाते में वापस लिखा गया जिसमें एम टी एन एल का बकाया सम्मिलित है। रु. 8391955.00 (सैकड़ों में) एवं अन्य देयताएं रु.1531763.02 (सैकड़ों में) जिसके लिए समय सीमा से वर्जित किया जा रहा है को समायोजित किया गया है तथा परिसंपत्तियों के खातों में रु. 5234.44 (सैकड़ों में) को प्रतिलेखन किया गया जिसके लिए संपत्तियां पहचाने जाने योग्य नहीं है ना ही प्राप्य योग्य हैं। विवरण नीचे दिए गये अनुसार है।

हेड्स	राशि रु. सैकड़ों में
देयताएं वापस लिखा गया	9,923,718.02
बट्टे खाते में डाला गया परिसंपत्तियाँ	(5,234.44)
कुल	9,918,483.57

टिप्पणी 25 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम राशि के एक मामले में ऑर्डर शीट नंबर ईसी 285 वर्ष 2017 दिनांक 20 जून, 2019 के अनुसार कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार रजिस्ट्रार के पास जमा 48000.00 (सैकड़ों में) की राशि शामिल है। जो डी ए आर सी एल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और सीजे डी ए आर सी एल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के खिलाफ लंबित है।

टिप्पणी 26 कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आईए संख्या: जीए/1/2020 दिनांक 15 नवंबर, 2021 एक बैंक गारंटी दिनांक 14.12.2021 बैंक ऑफ बड़ौदा जोधपुर पार्क शाखा में रखी गई सावधि जमा के खिलाफ 50000.00 (सैकड़ों में) की रकम को बैंक ऑफ बड़ौदा जोधपुर पार्क शाखा से जारी किया गया को एक मामले में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया गया है, जो कि मेसर्स जय मां संतोषी सां मिल के खिलाफ लंबित है।

टिप्पणी 27 अचल संपत्तियों में नरेंद्रपुर (पश्चिम बंगाल) और जोधपुर पार्क (पश्चिम बंगाल) में स्थित भूमि और भवन शामिल हैं, जिन्हें दिनांक 24 मई 2022 के पंजीकरण के विलेख के माध्यम से बेचा गया है। उक्त अचल संपत्तियों के प्रति रु. 20090000.00 (रु. सैकड़ों में) की रकम वाले प्राप्त अग्रिम राशि को अन्य चालू देनदारियों के तहत “पूँजीगत अग्रिमों के खिलाफ शीर्ष देनदारियों के तहत दिखाया गया है।”

टिप्पणी 28 ए एस-18 के अनुसार सूचना ‘संबंधित पार्टी के लेनदेन’ वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों से कोई लेन देन नहीं किया गये हैं।

टिप्पणी 29 जैसा कि कंपनी की निर्माण कार्यकलाप लंबे समय से बंद है तथा भारत सरकार कंपनी को बंद रकरने का निर्णय लिया है, इसलिए क्षेत्रवार परिणाम तैयार नहीं किये गये हैं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 30 :	प्रतिशेयर आय की गणना	2021-22	2020-21
	लाभ व हानि लेखा के अनुसार लाभ /(हानि) (रु.)	883,884,038	2,695,607,628
	शेयरों की भारित औसत सं.	4,865,881,125	4,865,881,125
	प्रति शेयर आय	0.18	0.55

टिप्पणी 31 अनुपात

मार्च 31, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपात इस प्रकार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति	विचरण (% में)
वर्तमान अनुपात	2.57	0.87	170.45
ऋण-इक्विटी अनुपात	0.00	-0.13	12.85
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	0.00	0.00	-
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शुद्ध लाभ अनुपात	-3.24	0.01	(324.53)
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	-0.19	0.00	(18.28)
निवेश पर रिटर्न	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1. असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ पर विचार किया गया है

2. विचरण अधिक है क्योंकि 25% देनदारियाँ प्रतिलेखन, संपत्ति को बड़े खाते में डालने, प्रावधान और पूर्व अवधि की वस्तुओं के कारण है।

टिप्पणी 32 .कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन के परिसमापन आधार को अपनाया है, लेखांकन के परिसमापन के अधीन आधार, संपत्ति को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताया जाना आवश्यक है। खाते के समापन के लिए वैधानिक समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और इसे निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर एम. सी. ए. के साथ दाखिल करना, निरंतर वर्ष के लिए संपत्ति ऐतिहासिक लागत पर बताई गई है। अगले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 से खातों के संकलन के लिए नियत प्रक्रिया का पालन करके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर संपत्ति का विवरण लागू किए जाने की उम्मीद है।

टिप्पणी 33 चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित आयकर और एम ए टी के लिए कोई प्रावधान का गणना नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी एक बीमार कंपनी है और इसने पिछले वर्षों के रिटर्न के अनुसार आगे की हानि को अवशोषित किया है। हालांकि, पिछले वित्तीय वर्षों के पूंजीगत लाभ पर आयकर के लिए उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी 34 : पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जो भी आवश्यक है को फिर से व्यवस्थित और पुनःसमूहकृत किया गया है।

उस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में

कृते जी. बासु एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
पंजीकरण सं. 301174ई

(पी बागची)
साझेदार
(सदस्यता सं. -051524)

के. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन-08385809

अमल कुमार बोस
सलाहकार

स्थान:कोलकाता
दिनांक : 23 सितंबर 2022



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

(भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के अधीन)

वेबसाइट : www.hindcables.net

पंजीकृत कार्यालय :

फ्लैट नं. जे-0, गोल्फ लिंक अपार्टमेंट,

50, चंडीतला लेन, कोलकाता-700040

ई-मेल : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

रुपनारायणपुर इकाई

पोस्ट : हिन्दुस्तान केबल्स

रुपनारायणपुर-713 335

जिला : पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल

ई-मेल : ojharavi7@gmail.com

हैदराबाद इकाई

पोस्ट हिन्दुस्तान केबल्स

हैदराबाद -500 051, तेलंगाना

ई-मेल : hindustan_cables@yahoo.com

इलाहाबाद इकाई

फ्लैट नं. ए-17, अग्निपथ हाउसिंग स्किम,

7, टी.बी. सप्रु रोड,

सिविल लाइन्स

इलाहाबाद-211001, उत्तर प्रदेश

ई-मेल : 016paras@gmail.com